

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई 2023—आषाढ़ 23, शक 1945

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2023

पंजी. क्र. 3530-2023-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशांसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री संजय कुमार जैन (जूनियर-1), जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लवकुश नगर, जिला छतरपुर की सेवाएं औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में सदस्य न्यायिक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा, श्रम विभाग, मंत्रालय को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

#### सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2023

क्र. एफ 9-20-2021-अ-तिहत्तर.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-20-2021-अ-तिहत्तर, दिनांक 16 अप्रैल 2023 की निरंतरता में, "मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा-संशोधित 2022)" में संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, सचिव.

## परिशिष्ट

मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015 (यथा संशोधित 2022) में कंडिका क्रमांक 23.2 के पश्चात् कंडिका क्रमांक 23.3 निम्नानुसार अन्तः स्थापित की जाती है :—

“23.3 प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु सेवाओं के उपार्जन में प्राथमिकता संबंधी प्रावधान :

नियम 31 के अंतर्गत गठित समिति द्वारा जिन सेवाओं की सूची प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से उपार्जन हेतु अनुमोदित की जायेगी, उन सेवाओं पर यह प्रावधान लागू होंगे :—

(1) सेवाओं के उपार्जन हेतु आमंत्रित निविदा में यदि एल-1 मूल्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ताओं का नहीं है, तो प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जिनके द्वारा निविदा में एल-1+15 प्रतिशत की सीमा में दरें प्रस्तुत की गई हैं, को एल-1 दर पर उनकी क्षमता के दृष्टिगत 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत जैसा उपरोक्त समिति निर्धारित करें, तक की सेवाओं का उपार्जन किया जा सकेगा.

(2) यदि प्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ताओं की क्षमता आदेशित सेवा के निर्धारित समयावधि में प्रदान हेतु पर्याप्त नहीं है तो उक्त स्थिति में शेष सेवा के एल-1 दर पर प्रदाय हेतु निविदा में सहभागी प्रदेश के अन्य दो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा प्रस्तुत दरों के घटते हुए क्रम में आवंटित की जावेगी.

(3) प्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ता द्वारा एल-1 दर पर सेवा प्रदान हेतु असहमति व्यक्त करने की दशा में पूर्ण कार्य एल-1 दर प्रस्तुतकर्ता से किया जावेगा.

(4) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से सेवा के वार्षिक उपार्जन के 25% में से (25% में से 4%) अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से सेवा उपार्जन के लिए चिन्हित होंगे, परंतु ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा टेण्डर की अपेक्षाओं को पूरा करने और L-1 मूल्य तक पहुंचने में असफल रहने की दशा में अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों से सेवा उपार्जन के लिए चिन्हित 4 प्रतिशत का अन्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से पूरा किया जावेगा.

(5) ऐसी सेवाएं जिन्हें राज्य शासन के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना है, प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम तथा स्टार्टअप जिनकी उत्पादन क्षमता इन सेवाओं के लिए शासन की मांग से दोगुना है, उन सेवाओं को उपार्जन हेतु शत-प्रतिशत आरक्षित किया जा सकेगा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. नरहरि, सचिव.

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2023

क्र. एफ 15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, यथा-संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 4(1)(bb) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, श्री चंद्रेश खरे, निवासी भगत सिंह वार्ड, मण्डला, मध्यप्रदेश को जिला मण्डला एवं कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला हेतु जिला मानसेवी वन्यजीव अभिरक्षक के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

**राजस्व विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2023

क्र. एफ 6-47-2022-सात-3.—नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 6-75-2019-शा. 3, दिनांक 24 सितम्बर 2020 की कंडिका 3.1 (एक) (घ) के संदर्भ में एतद्वारा, राज्य सरकार, जिला भोपाल की तहसील हुजूर के नगर शहर भोपाल (ईदगाह हिल्स) की निम्न तालिका अनुसार भूमियों को, जिसमें परिशिष्ट-एक में आवेदिन क्षेत्रफल को मय चतुर्सीमा दर्शाया गया है, को अधिसूचित करती है :—

क्रमांक	खसरा नंबर	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)
01	68	12430
02	105/1/1, 105/1/2, 105/2	142820
03	99	17240
04	99	17240

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुचिस्मिता सक्सेना, उपसचिव.

परिशिष्ट-एक

क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कॉलम नं. (3) के क्षेत्रफल में से (वर्गमीटर में)	चतुर्सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	68	12430	515.00	पूर्व—रास्ता पश्चिम—बेगसाहिब का मकान उत्तर—गली एवं शाहिदभाई का मकान. दक्षिण—प्रभुनगर जाने का रास्ता.
02	105/1/1, 105/1/2, 105/2	142820	390.19	उत्तर—मकान नं. 3 दक्षिण—आईडीबीआईलेक टावर. पूर्व—रास्ता पश्चिम—रिक्त भूमि.
03	99	17240	895.21	पूर्व—रास्ता पश्चिम—मकान नं. 174 उत्तर—मकान नं. 173 दक्षिण—रास्ता
04	99	17240	339.95	पूर्व—बोस जी का मकान पश्चिम—मोटवानी का मकान उत्तर—रास्ता दक्षिण—सतवीर सिंह का मकान.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुचिस्मिता सक्सेना, उपसचिव.

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2023

क्र. एफ. 6-0011-2023-Sec 7-सात.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार रायसेन जिले की तहसील बेगमगंज की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील सुल्तानगंज का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

## अनुसूची

क्रमांक	विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील का नाम एवं उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में समाविष्ट क्षेत्रों का विवरण	परिवर्तनों के पश्चात् तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	तहसील बेगमगंज (मुख्यालय बेगमगंज).	तहसील बेगमगंज के प. ह. नं. 34 से 61 तक, कुल 28 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे.	बेगमगंज	तहसील बेगमगंज के प. ह. नं. 01 से 33 तक कुल 33 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	उत्तर में—सागर जिले की राहतगढ़ तहसील. पूर्व में—प्रस्तावित तहसील सुल्तानगंज दक्षिण में—जिले की तहसील गैरतगंज. पश्चिम में—विदिशा जिले की ग्यारसपुर तहसील.
2.	—	—	सुल्तानगंज	तहसील बेगमगंज के प. ह. नं. 34 से 61 तक, कुल 28 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	उत्तर में—सागर जिले की तहसील सुरखी एवं जैसीनगर. पूर्व में—सागर जिले की तहसील केसली. दक्षिण में—जिले की तहसील सिलवानी. पश्चिम में—वर्तमान तहसील बेगमगंज.

2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

क्र. एफ. 6-0012-2023-Sec 7-सात.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, रायसेन जिले की तहसील सिलवानी की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील बम्होरी का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव, लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

### अनुसूची

क्रमांक (1)	विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय (2)	प्रस्तावित परिवर्तन अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण (3)	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील का नाम एवं उसका मुख्यालय (4)	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में समाविष्ट क्षेत्रों का विवरण (5)	परिवर्तनों के पश्चात् तहसील की सीमाएं (6)
1.	तहसील सिलवानी (मुख्यालय सिलवानी).	तहसील सिलवानी के प. ह. नं. 01 से 20 तक, कुल 20 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे.	सिलवानी	तहसील सिलवानी के प. ह. नं. 21 से 68 तक, कुल 48 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	उत्तर में—जिले की तहसील बेगमगंज, गैरतगंज एवं सागर जिले की तहसील केसली. पूर्व में—जिले की तहसील उदयपुरा एवं सागर जिले की तहसील केसली. दक्षिण में—जिले की तहसील उदयपुरा. पश्चिम में—प्रस्तावित तहसील बम्होरी.
2.	—	—	बम्होरी	तहसील सिलवानी के प. ह. नं. 01 से 20 तक, कुल 20 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	उत्तर में—जिले की तहसील गैरतगंज. पूर्व में—वर्तमान तहसील सिलवानी. दक्षिण में—जिले की तहसील बरेली एवं तहसील उदयपुरा. पश्चिम में—जिले की तहसील बरेली एवं तहसील बाडी.

2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2023

क्र. एफ-1-2-23-रा. स.-यू. ए.-1-690.—राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा में राज्य शासन द्वारा दिनांक 14 मार्च 2023 से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 52 के प्रावधान प्रभावशील किए जाने के फलस्वरूप आदेश क्र. एफ-1-2-23-रा. स.-यू. ए.-1-281, दिनांक 14 मार्च 2023 के द्वारा राज्य शासन के परामर्श से डॉ. कपिल देव मिश्रा, कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर को उनके वर्तमान पदीय दायित्वों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से आगामी आदेश तक अस्थायी तौर पर उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का प्रभार सौंपा गया है।

2. मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश, विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में यथा उपांतरित धारा 13 एवं 14 सहपठित धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन से परामर्श करने के उपरांत एतद्वारा डॉ. लीला भलावी, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर (मध्यप्रदेश) को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

3. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी।

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, कुलाध्यक्ष, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, रायसेन, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2023

क्र. एफ-1-6-13-रा. स.-यू. ए.-1-693.—डॉ. नीरजा गुप्ता कुलपति, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची द्वारा दिनांक 30 जून 2023 को प्रस्तुत त्याग-पत्र एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

2. मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल से प्राप्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल आगामी आदेश तक के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य संपादित करेंगे।

मंगुभाई पटेल, कुलाध्यक्ष.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 10 फरवरी 2023

क्र. 346-योजना-2023.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ 19-24-2019-एक-4 भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुक्रम में, मैं, गौतम सिंह, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, एतद्वारा, यह अधिसूचना जारी करता हूँ कि दिनांक 4 अप्रैल 2022 को संपन्न मन्दसौर जिलास्तरीय नामकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निम्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लेखित संस्थानों के नामकरण कॉलम (3) के अनुसार किए जाते हैं :-

### तालिका

क्र.	संस्था / स्थान	नामकरण
(1)	(2)	(3)
1	शासकीय महाविद्यालय, सुवासरा	महाराणा प्रताप शासकीय महाविद्यालय, सुवासरा
2	शासकीय महाविद्यालय, शामगढ़	कुशाभाऊ ठाकरे शासकीय महाविद्यालय, शामगढ़
3	शासकीय संगीत महाविद्यालय, मन्दसौर	लता मंगेशकर शासकीय संगीत महाविद्यालय, मन्दसौर
4	शासकीय पॉलिटिकल महाविद्यालय, मन्दसौर	शिवशंकर शर्मा, शासकीय पॉलिटिकल महाविद्यालय, मन्दसौर
5	खेल मैदान, सुवासरा	स्वामी विवेकानन्द खेल मैदान, सुवासरा

## मन्दसौर, दिनांक 20 फरवरी 2023

क्र. 444-योजना-2023.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ 19-24-2019-एक-4 भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुक्रम में, मैं, गौतम सिंह, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, एतद्द्वारा, यह अधिसूचना जारी करता हूँ कि दिनांक 1 नवम्बर 2022 को संपन्न मन्दसौर जिलास्तरीय नामकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार बस स्टेण्ड, सुवासरा का नामकरण नानालाल पाटीदार बस स्टेण्ड, सुवासरा किया जाता है।

गौतम सिंह, कलेक्टर.

## मन्दसौर, दिनांक 5 जुलाई 2023

क्र. 2616-योजना-2023.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ 19-24-2019-एक-4 भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुक्रम में, मैं, दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, एतद्द्वारा, यह अधिसूचना जारी करता हूँ कि दिनांक 28 अप्रैल 2023 को संपन्न मन्दसौर जिलास्तरीय नामकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निम्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लेखित संस्थानों के नामकरण कॉलम (3) के अनुसार किए जाते हैं :—

## तालिका

क्र. (1)	संस्था / स्थान (2)	नामकरण (3)
1	शासकीय महाविद्यालय, भानपुरा	महाराजा यशवंत राव होल्कर, शासकीय महाविद्यालय, भानपुरा
2	शासकीय महाविद्यालय, मल्हारगढ़	शहीद भगतसिंह, शासकीय महाविद्यालय, मल्हारगढ़
3	शासकीय महाविद्यालय, दलौदा	स्वामी विवेकानन्द शासकीय महाविद्यालय, दलौदा

क्र. 2618-योजना-2023.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ 19-24-2019-एक-4 भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुक्रम में, मैं, दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, एतद्द्वारा, यह अधिसूचना जारी करता हूँ कि दिनांक 28 अप्रैल 2023 को संपन्न मन्दसौर जिलास्तरीय नामकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निम्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लेखित मार्गों के नामकरण कॉलम (3) के अनुसार किए जाते हैं :—

## तालिका

क्र. (1)	मार्ग (2)	नामकरण (3)
1	ग्राम रायपुरिया से कराडिया तक का मार्ग (08 किमी नवीर मार्ग)	संत रविदास मार्ग
2	नगर भानपुरा में माता पोल दरवाजा से आध्य शंकराचार्य जी मठ तक का मार्ग.	स्वामी श्री दिव्यानन्द जी मार्ग
3	नगर भानपुरा में कचहरी चौक से घोडा पोल, छीपा मोहल्ला होकर आध्य शंकराचार्य जी मठ तक का मार्ग.	स्वामी श्री सत्यमित्रानन्द जी मार्ग

क्र. 2672-योजना-2023.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2023 एवं पत्र क्रमांक एफ 19-24-2019-एक-4 भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुक्रम में, मैं, दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, एतद्द्वारा, यह अधिसूचना जारी करता हूँ कि दिनांक 28 अप्रैल 2023 को संपन्न मन्दसौर जिलास्तरीय नामकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निम्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लेखित संस्थान के नामकरण कॉलम (3) के अनुसार किए जाते हैं :—

## तालिका

क्र. (1)	संस्था (2)	नामकरण (3)
1	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मन्दसौर	सुन्दरलाल पटवा चिकित्सा महाविद्यालय, मन्दसौर Sunderlal Patwa Medical College, Mandsaur.

दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

बड़वाह, दिनांक 7 जून 2023

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 2054-रीडर-1-2023-क्र. 0027-B-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-रुखड़ी, प. ह. नं.-40, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक (एफ. जी. डी.), एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ग्राम-रुखड़ी, प. ह. नं.-40	90/8	0.065
			90/4	0.140
			90/5	0.260
			90/10	0.400
			90/11	0.400
			90/12	0.100
			99/1	0.065
			106/2	0.900
			105	0.120
			99/2	0.200
			99/10	0.030
			99/9	0.140
			99/5	0.040
			99/7	0.200
			99/21	0.030
99/22	0.020			
99/23	0.010			
कुल योग			17	3.120



बड़वाह, दिनांक 16 जून 2023

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 2225-रीडर-1-2023-क्र. 0029-B-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-जूनापानी, प. ह. नं.-46, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक (एफ. जी. डी.), एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ग्राम-जूनापानी, प. ह. नं.-46	54/2/2	0.200
			54/2/1	0.200
			54/4	0.150
			54/3/1/1	0.400
			52/1	0.130
			53/1	0.030
			53/6	0.320
			58	0.040
			59/1	0.080
			59/2	0.320
			63/2	0.160
			63/1	0.150
			62	0.050
			65/1	0.240
			67/4	0.030
67/3	0.050			
67/2	0.030			
67/1	0.080			
70	0.250			
74/2	0.025			
74/1	0.325			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			75/1	0.060
			75/5	0.150
			75/4	0.050
			75/6	0.320
			85/3	0.250
			85/2	0.580
			84/4	0.330
			84/3	0.280
			84/2	0.300
			155/3	0.300
			104/2	0.035
			104/3	0.130
			105/1	0.200
			105/2	0.160
			105/3	0.150
			105/5	0.150
			105/4	0.240
			106/1	0.180
			106/2	0.010
			108/1	0.200
			107/3	0.320
			115/4	0.090
			121/1	0.375
			121/4	0.235
			120/1	0.070
			122/2	0.320
			122/6	0.080
		कुल योग . .	48	8.825

बड़वाह, दिनांक 28 जून 2023

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 2380-रीडर-1-2023-क्र. 0046-B-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-बिराली, प. ह. नं.-30, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक (एफ. जी. डी.), एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची				
जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ग्राम-बिराली,	187/1	0.650
		प. ह. नं.-30	176/3	0.040
			176/6	0.100
		कुल योग . .	03	0.790

### प्ररूप "ख"

#### [नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 2387-रीडर-1-2023-क्र. 0047-B-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-ढकलगांव, प. ह. नं.-40, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक (एफ. जी. डी.), एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची				
जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ग्राम-ढकलगांव,	536/1	0.010
		प. ह. नं.-40	534	0.520
			530/1/2	0.220
			530/1/3	0.060

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			529/8	0.040
			529/4	0.050
			529/7	0.130
			529/6	0.120
			514/3	0.180
			514/1	0.140
			514/2	0.140
			524/2	0.120
			523/2	0.020
			518/1	0.210
			520	0.010
			518/2	0.010
			135/1	0.100
			135/2	0.070
			137	0.230
			133/2	0.020
			133/3	0.280
			130	0.010
			132/2	0.040
			132/1	0.250
			139/1	0.010
			131/1	0.400
			131/2	0.100
			44/5	0.360
			44/2	0.230
			40/1	0.150
			31/2/1	0.280
			40/2	0.135
			31/2/2	0.220
			41	0.070
			42	0.015
			43/3	0.040
			43/2	0.300
			43/4	0.150
			43/1	0.300
			37	0.350
			35/1/1	0.180
			35/1/2	0.200
			81/5	0.010
			81/1	0.300
			80/1	0.020
			80/3	0.030
			81/2	0.100
			83/5	0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			83/14	0.200
			83/13	0.200
			83/6	0.110
			83/1	0.170
			84/3	0.030
			85/2	0.330
			85/3	0.150
			85/5	0.030
			974/5	0.020
			974/4	0.030
			974/6	0.040
			974/8/1	0.040
			974/9	0.120
			974/8/2	0.035
			974/7	0.240
			973/1	0.010
			973/5	0.130
			973/2	0.070
			973/7	0.170
			988/1	0.060
			988/7	0.250
			988/8	
			988/9	0.160
			988/6	0.050
			988/2	0.150
			988/4	0.220
			1035/1	0.250
			1058/2	0.030
			1035/4	0.080
			1035/5	0.090
			1035/3	0.260
			1058/1	0.060
			1035/8	0.080
			1057/1	0.045
			1056/3	0.090
			1056/1	0.220
			1053/4	0.400
			1074/1	0.250
			1076/2	0.460
			1077/2	0.150
			1077/1	0.100
			1082/1	0.220
			1082/7	0.350
			1082/3	0.010
			139/4	0.040
		कुल योग . . .	92	13.140

बी. एस. कलेश, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

## कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, पुनासा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

पुनासा, दिनांक 13 जून 2023

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 682-रीडर-1-2023-क्र. 5A82-B-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-डुहकिया,, प. ह. नं.-05/15, तहसील-पुनासा, जिला-खण्डवा, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक (एफ. जी. डी.), एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, पुनासा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

## अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	पुनासा	ग्राम-डुहकिया, प. ह. नं.-05/15	145	0.28
			147/2	0.18
			138/2	0.08
			146/1	0.20
			147/1	0.03
			158	0.03
			157	0.17
			156	0.15
			155	0.15
			167	0.10
			154	0.02
			152/3	0.03
			कुल योग	

**प्ररूप "ख"**  
[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 681-रीडर-1-2023-क्र. 6A82-B-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-धावड़िया, प. ह. नं.-07, तहसील-पुनासा, जिला-खण्डवा, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक (एफ. जी. डी.), एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, पुनासा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

**अनुसूची**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	पुनासा	ग्राम-धावड़िया	64/1	0.02
		प. ह. नं.-07	64/2	0.24
			65/1	0.02
			65/2	0.24
			83/2	0.04
			83/4	0.50
			78/2	0.04
			79/2/2	0.38
			73	0.04
			149	0.11
			152/2	0.28
			152/1	0.37
			155	0.20
कुल योग			13	2.48

चन्द्रसिंह सोलंकी, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 24 जून 2023

क्र. 537-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
 (ख) तहसील—गोपदबनास  
 (ग) ग्राम—गाडा बबन सिंह  
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—गाडा बबन सिंह  
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.3560 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
899/1		उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	रीवा-सीधी नई रेल लाईन के निर्माण हेतु.
899/2		पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर	
899/3	0.1210		
899/4			
899/5			
1016/1			
1016/2			
1016/3	0.2820		
1016/4			
1016/5			
1016/6			
1016/7			
1016/8			
1016/9			
1016/10			
1016/11			
1016/12			
1016/13			
1016/14			



(1)	(2)	(3)	(4)
1016/15			
1016/16			
1016/17			
1016/18			
1610/20			
1020/1	0.0320		
1020/2			
1104/1	0.1720		
1025/3	0.1420		
1025/1			
1103/1	0.1100		
1103/3			
1043	0.0620		
1102	0.2020		
1101/1	0.0050		
1101/2			
1096/2/3	0.0020		
1077/2	0.0820		
1095	0.0310		
1090	0.0160		
1079/1	0.0130		
1079/2			
1021	0.0240		
1017	0.0200		
1022	0.0400		
कुल योग . .	1.3560		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 539-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपदबनास

- (ग) ग्राम—गाडा लोलर सिंह  
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—गाडा लोलर सिंह  
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 3.2350 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.) (2)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)
1182/2	0.1060	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	रीवा-सीधी नई रेल
1182/2/2/1	0.0200	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	लाईन के निर्माण हेतु.
1182/2/2/2	0.0200		
1182/2/3/1	0.0150		
1182/2/3/2	0.0250		
1182/2/4/1	0.0150		
1182/2/4/2	0.0160		
1178/1/1	0.0200		
1178/1/2	0.0080		
1178/1/3	0.0080		
1178/1/4	0.0100		
1178/1/5	0.0100		
1178/1/6	0.0100		
1178/1/7	0.0100		
1178/1/8	0.0200		
1178/1/9	0.0080		
1178/1/10	0.0080		
1178/2/1/1	0.0790		
1178/2/1/2	0.0040		
1178/2/1/3	0.0040		
1178/2/1/4	0.0140		
1178/2/1/5	0.0140		
1178/2/1/6	0.0140		
1178/2/1/7	0.0140		
1178/2/1/8	0.0140		
1178/2/1/9	0.0140		
1178/2/1/10	0.0050		
1178/2/1/11	0.0050		
1178/2/1/12	0.0050		
1178/2/1/13	0.0050		
1178/2/1/14	0.0060		
1178/2/1/15	0.0100		
1178/2/3/2	0.0100		
1178/2/3/3	0.0100		
1178/2/4/2	0.0100		
1178/2/4/3	0.0100		
1179/2	0.0080		
1171	0.2250		
1222	0.5010		

(1)	(2)	(3)	(4)
1225	1.4490		
1226	0.2530		
1216	0.0100		
1181/1	0.0140		
1181/2/1	0.0120		
1181/2/2	0.0100		
1181/2/3	0.0150		
1181/2/4	0.0100		
1181/2/5	0.0100		
1181/2/6	0.0100		
1181/2/7	0.0100		
1181/2/8	0.0100		
1181/2/9	0.0100		
1181/2/10	0.0100		
1181/2/11	0.0120		
1223/1			
1223/2			
1223/3			
1223/4			
1223/5	0.0400		
1223/6			
1223/7			
1223/8			
1223/9			
1223/10			
1215	0.0400		
कुल योग . .	3.2350		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 545-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय, की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपद बनास

- (ग) ग्राम—विसैधाटोला  
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—जोगीपुर दक्षिण  
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 2.1170 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.) (2)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)
111	0.0500	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	रीवा-सीधी नई रेल
112	0.0980	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर	लाइन के निर्माण हेतु.
113/1			
113/2			
113/3	0.3200		
113/4			
113/5			
113/6			
114/1			
114/2			
114/3	0.2440		
114/4			
114/5			
115/1	0.206		
116/1	0.1500		
117	0.1100		
284/1/1			
284/1/2			
284/1/3			
284/2/1			
284/2/2			
284/2/3	0.0750		
284/2/4			
284/3			
284/4/1			
284/4/2			
285/1	0.0240		
285/2	0.0050		
285/2/2	0.0040		
285/2/3	0.0160		
285/3	0.0240		
285/4	0.0050		
286/1	0.0030		
286/2	0.0030		
286/3	0.0030		
286/4	0.0030		
286/5	0.0030		
286/6	0.0030		
286/7	0.0030		

(1)	(2)	(3)	(4)
287/1	0.0540	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	रीवा-सीधी नई रेल
287/2	0.0430	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	लाइन के निर्माण हेतु.
287/3	0.0430		
287/4	0.0430		
288/1/1	0.0210		
288/1/2	0.0410		
288/1/3	0.0430		
288/1/4	0.0430		
288/2	0.0010		
289	0.0900		
290/1			
290/2			
290/3	0.0480		
290/4			
290/5			
290/6			
291/1			
291/2			
291/3			
291/4	0.0330		
291/5			
291/6			
291/7			
293	0.0500		
299/1			
299/2			
299/3	0.0420		
299/4			
299/5			
283	0.1000		
297	0.0400		
300	0.0200		
303	0.0100		
कुल योग . .	2.1170		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सीधी, दिनांक 24 जून 2023

क्र. 511-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

- (ग) ग्राम—भितरी  
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—भितरी  
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.092 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
283/1	0.170	0.040	रामरूप पिता भागीरथी
285/1	0.052	0.052	रामरूप पिता भागरथी
निजी भूमि का योग	0.222	0.092	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—रीवा सीधी नई रेल लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 519-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—सीधी  
 (ख) तहसील—चुरहट  
 (ग) ग्राम—पचोखर  
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—पचोखर  
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.063 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
3187/1	0.071	0.063	निजी भूमि
निजी भूमि का योग	0.071	0.063	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 521-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—सीधी  
 (ख) तहसील—चुरहट  
 (ग) ग्राम—शिवपुरवा  
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—शिवपुरवा  
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.440 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल रकबा (हे. में.) (2)	अर्जित रकबा (हे. में.) (3)	टिप्पणी (4)
58/1	0.014	0.015	निजी भूमि
53/1	0.925	0.100	निजी भूमि
48/1	0.326	0.026	निजी भूमि
74/1	0.311	0.041	निजी भूमि
73/1/1	0.198		
732/1	0.199		
73/3/1	0.198	0.074	निजी भूमि
73/4/1	0.209		
75/1/1	0.163		
75/2/1	0.171	0.076	निजी भूमि
75/3/1	1.162		
80/1	0.031	0.026	निजी भूमि
83/1	0.019	0.014	निजी भूमि
86/1	2.943	0.043	निजी भूमि
54/1/1	0.018		
54/2/1	0.018	0.025	निजी भूमि
54/3/1	0.008		
54/4/1	0.017		

निजी भूमि का योग

6.933

0.440

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 517-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन :—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—गन्नौड़ 234
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—भेलकी
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.108 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
484	0.480	0.084	निजी भूमि
487	0.040	0.024	
निजी भूमि का योग	0.520	0.108	

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 523-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन :—

- (क) जिला—सीधी



- (ख) तहसील—चुरहट  
 (ग) ग्राम—बड़खरा 739  
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—बड़खरा 739  
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.545 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल रकबा (हे. में.) (2)	अर्जित रकबा (हे. में.) (3)	टिप्पणी (4)
510	0.090	0.006	निजी भूमि
497	0.270	0.021	निजी भूमि
282	0.220	0.020	निजी भूमि
284	0.030	0.013	निजी भूमि
285	0.040	0.016	निजी भूमि
286	0.040	0.002	निजी भूमि
294/1	0.295	0.017	निजी भूमि
294/2	0.295		निजी भूमि
315/1	0.453	0.180	निजी भूमि
313	0.200	0.004	निजी भूमि
325/1/1	0.050		
325/1/2	0.010		
325/1/3	0.010		
325/1/4	0.010		
325/1/5	0.010		
325/1/6	0.010	0.073	
325/1/7	0.010		
325/1/8	0.010		
325/1/9	0.010		
325/1/10	0.010		
325/2	0.140		
325/3	0.130		
109/1	0.170		
109/2/1	0.070		
109/2/2	0.070	0.035	
109/3	0.080		
109/4/1	0.020		
109/4/2	0.020		
73/1	0.290		
73/1/1/1	0.096	0.075	
73/3/1/1	0.100		
75/1/1/1	0.745	0.045	
75/1/2	0.775		
124/1/1	0.156	0.038	
निजी भूमि का योग	4.935	0.545	

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 525-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय, की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—चिलरी कला
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—चिलरी कला
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.212 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
439/1	0.266	0.212	निजी भूमि
निजी भूमि का योग	0.266	0.212	

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 527-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—पड़खुरी
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—पड़खुरी
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.033 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल रकबा (हे. में.) (2)	अर्जित रकबा (हे. में.) (3)	टिप्पणी (4)
3363/1	0.023	0.023	निजी भूमि
3348	0.150	0.004	निजी भूमि
3315	0.300	0.006	निजी भूमि
निजी भूमि का योग	0.473	0.033	

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 529-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय, की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—सांडा
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—सांडा
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.748 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल रकबा (हे. में.) (2)	अर्जित रकबा (हे. में.) (3)	टिप्पणी (4)
28/1	0.030		निजी भूमि
28/2	0.040	0.024	निजी भूमि
54/2	0.022	0.014	निजी भूमि
63/1/1	0.402		निजी भूमि
63/2	0.410	0.042	निजी भूमि
63/4	0.150		निजी भूमि
64/1/1	0.100		निजी भूमि
64/2/1	0.099	0.080	निजी भूमि
64/2/3	0.010		निजी भूमि
65/1	0.007		निजी भूमि
65/3	0.005	0.002	निजी भूमि
73/1	0.046	0.036	निजी भूमि
74/1	0.014	0.014	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(4)
74/3	0.080	0.014	निजी भूमि
76/1/1	0.090	0.060	निजी भूमि
77/1	0.185	0.105	निजी भूमि
78/1	0.060	0.048	निजी भूमि
78/2	0.070	0.029	निजी भूमि
79/1	0.029	0.029	निजी भूमि
80/1	0.094	0.084	निजी भूमि
81	0.130	0.005	निजी भूमि
138	0.020	0.010	निजी भूमि
139	0.030	0.005	निजी भूमि
140	0.080	0.055	निजी भूमि
141/1	0.038	0.038	निजी भूमि
142/1	0.031	0.031	निजी भूमि
143/1	0.005	0.005	निजी भूमि
144/1	0.006	0.006	निजी भूमि
145/1	0.013	0.013	निजी भूमि
150/2	0.008	0.008	निजी भूमि
259/1	0.040	0.034	निजी भूमि
259/3	0.394		निजी भूमि
निजी भूमि का योग	2.738	0.748	

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 531-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय, की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—झलवार
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—झलवार
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.798 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
203/1	0.008	0.008	निजी भूमि
215/1	0.234	0.030	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(4)
290/1	0.0853	0.033	निजी भूमि
292/1	0.374	0.054	निजी भूमि
314/1/1	0.080	0.030	निजी भूमि
314/1/2	0.306	0.030	निजी भूमि
315/1	0.004	0.004	निजी भूमि
326/1	0.231	0.041	निजी भूमि
453/1	0.067	0.032	निजी भूमि
459/1	0.140	0.100	निजी भूमि
458/1	0.303	0.103	निजी भूमि
603/1	0.200	0.021	निजी भूमि
572/1	0.006	0.006	निजी भूमि
552/1	0.029	0.024	निजी भूमि
613/1	0.240	0.160	निजी भूमि
798/1	0.141	0.026	निजी भूमि
820/1	0.978	0.032	निजी भूमि
822/1/1	0.038		निजी भूमि
822/1/2	0.039	0.064	निजी भूमि
822/1/3	0.039		निजी भूमि
822/1/4	0.038		निजी भूमि
निजी भूमि का योग	4.348	0.798	

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 533-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, गज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) में (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय, की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—बड़खरा 735
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—बड़खरा 735
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.240 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
384/2/1/1	0.400	0.110	निजी भूमि
384/3/1	1.892	0.130	निजी भूमि
निजी भूमि का योग	2.292	0.240	

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 535-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—बड़ोखर
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—बड़ोखर-10
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.180 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
8	2.520	0.180	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण हेतु
निजी भूमि का योग	2.520	0.180	

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सीधी, दिनांक 27 जून 2023

क्र. 541-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—टीकट कला
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—टीकट कला

(ड) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.062 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल रकबा (हे. में.) (2)	अर्जित रकबा (हे. में.) (3)	टिप्पणी (4)
2110/1/1/1	0.030		निजी भूमि
2110/1/1/2	0.025		निजी भूमि
2110/1/1/3	0.025		निजी भूमि
2110/1/1/4	0.025		निजी भूमि
2110/1/1/5	0.030		निजी भूमि
2110/1/1/6	0.025		निजी भूमि
2110/1/2	0.030		निजी भूमि
2110/1/3	0.030		निजी भूमि
2110/1/4	0.030		निजी भूमि
2110/2/1/1	0.030		निजी भूमि
2110/2/1/2	0.030		निजी भूमि
2110/2/1/3	0.030		निजी भूमि
2110/2/1/4	0.030	0.860	निजी भूमि
2110/2/1/5	0.030		निजी भूमि
2110/2/1/6	0.030		
2110/2/1/7	0.030		निजी भूमि
2110/2/1/8	0.030		निजी भूमि
2110/2/1/9	0.030		निजी भूमि
2110/2/3	0.030		निजी भूमि
2110/3/1	0.150		निजी भूमि
2110/3/2	0.030		निजी भूमि
2110/3/4	0.030		निजी भूमि
2110/3/5	0.030		निजी भूमि
2110/3/6	0.030		निजी भूमि
2110/3/7	0.030		निजी भूमि
2110/3/8	0.030		निजी भूमि
2110/3/9	0.030		निजी भूमि
2110/3/10	0.030		निजी भूमि
2233/1/1	0.096		निजी भूमि
2233/2/1	0.366		निजी भूमि
2233/3/1	0.365	0.172	निजी भूमि
2233/4/1	0.375		निजी भूमि
2233/5/1	0.375		निजी भूमि
2233/6/1	0.375		निजी भूमि
2236/1/1/1	1.395		निजी भूमि
2236/1/2/1/1	0.620	0.030	निजी भूमि
2236/1/2/3/1	0.590		निजी भूमि
2236/1/2/2/1	0.590		निजी भूमि
निजी भूमि का योग	6.087	1.062	

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 6 जुलाई 2023

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम, 2020

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र. 733-भू-सर्वेक्षण-18047-2023.—मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र में, भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये हैं :—

## अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्वालियर	तानसेन	मूल ग्राम-टिहोला मजरा-काशीपुर	12	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर).

अखिलेश कुमार जैन, संयुक्त आयुक्त.



## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-513-भू-अर्जन-2023

सीधी, दिनांक 24 जून 2023

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### -: अनुसूची :-

#### (1) भूमिकावर्णन-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	चुरहट
(ग) ग्राम	-	चंदैनिया
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	चंदैनिया
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकवा 3.493 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4
01	7/2	0.145	सत्यनारायण पिता रघुनाथ गुप्ता
02	10	0.156	विष्णुदेव सिंह पिता राजधारी सिंह
03	11	0.136	राजेन्द्र सिंह पिता इन्द्रबहादुर सिंह
04	12	0.135	शिवबली पिता इन्द्रबहादुर सिंह
05	35	0.045	गौरव सिंह, प्रणव सिंह, अजीत सिंह, ज्योती सिंह पिता रामकुमार सिंह, मु. सुमन सिंह पति रामकुमार सिंह, श्यामकुमार सिंह पिता अनन्तप्रताप सिंह
06	36	0.045	पार्वती देवी पत्नी जनार्दन प्रसाद ब्रा० 1/3, सुधा पिता जनार्दन प्रसाद 1/3, सुनीता पिता जनार्दन प्रसाद 1/3
07	88	0.290	मु. सविता सिंह पति गोविन्द नारायण सिंह, अनिरुद्ध सिंह, चन्द्रपाल सिंह, भूपेन्द्र सिंह पिता अखण्ड प्रताप सिंह, मु. गायत्री सिंह पति छोटेलाल सिंह, समशेर बहादुर सिंह, संजीव कुमार सिंह, सुखेन्द्र सिंह पिता छोटेलाल सिंह, मु. अर्चना पति सन्तोष कुमार सिंह, साक्षी, अमन पिता सन्तोष कुमार सिंह

क्रमांक	असरा नम्बर	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4
08	89	0.032	मु. सविता सिंह पति गोविन्द नारायण सिंह, अनिरुद्ध सिंह, चन्द्रपाल सिंह, भूपेन्द्र सिंह पिता अखण्ड प्रताप सिंह, मु. गायत्री सिंह पति छोटेलाल सिंह, समशेर बहादुर सिंह, संजीव कुमार सिंह, सुखेन्द्र सिंह पिता छोटेलाल सिंह, मु. अर्चना पति सन्तोष कुमार सिंह, साक्षी, अमन पिता सन्तोष कुमार सिंह
09	94	0.925	मु. सुशीला सिंह पति सन्तोष सिंह, अशोक सिंह, नारेन्द्र सिंह, अवधेश सिंह, अजय प्रताप सिंह पिता सन्तोष सिंह, माया सिंह पत्नी अवधेश सिंह, पुनीत, अंजुल पिता अविधेश सिंह
10	95	0.175	सम्पति कुमार सिंह, जगमोहन सिंह पिता आनन्द प्रताप सिंह, कल्याण सिंह, दिनेश सिंह पिता मनमोहन सिंह, राज कुमारी सिंह पति छोटेलाल सिंह, सविता पति शिवलाल, जागेन्द्र, योगेन्द्र पिता शिवलाल सिंह, मु. उर्मिला पति जय नारायण सिंह, अजय, प्रिन्स पिता जय नारायण सिंह, मु. सविता बेवा शिवनारायण, पंकज, अंकित पिता शिवनारायण सिंह
11	96	0.055	सम्पति कुमार सिंह, जगमोहन सिंह पिता आनन्द प्रताप सिंह, कल्याण सिंह, दिनेश सिंह पिता मनमोहन सिंह, राज कुमारी सिंह पति छोटेलाल सिंह, सविता पति शिवलाल, जागेन्द्र, योगेन्द्र पिता शिवलाल सिंह, मु. उर्मिला पति जय नारायण सिंह, अजय, प्रिन्स पिता जय नारायण सिंह, मु. सविता बेवा शिवनारायण, पंकज, अंकित पिता शिवनारायण सिंह
12	100	0.042	नारेन्द्र सिंह पिता सन्तोष सिंह
13	109/1	0.037	विष्णुपाल सिंह पिता विजय बहादुर सिंह
14	109/3	0.039	भगवान सिंह, उमेश सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह पिता ददूलाल सिंह
15	109/4/1	0.115	विवेश कुमार सिंह पिता सत्यवान सिंह
16	109/4/2	0.135	मनीश कुमार सिंह पिता सत्यवान सिंह
17	110/1/1	0.030	विमला सिंह बेवा गरु प्रसन्न सिंह, रुचि सिंह पिता गुरु प्रसन्न सिंह
18	110/1/2	0.022	अमित कुमार सिंह पिता हरिनन्दन सिंह
19	110/1/3	0.016	अरुण सिंह पिता हीरालाल सिंह
20	110/1/4	0.006	ओंकार सिंह पिता फुलेल सिंह
21	110/1/5	0.001	रामरंगीले सिंह पिता हीरालाल सिंह
22	110/2/1	0.098	रुस्तम सिंह पिता सियाराम सिंह
23	110/2/2	0.070	किशन सिंह पिता सियाराम सिंह
24	110/3/1	0.097	प्रकाश सिंह पिता राजभान सिंह
25	110/3/2	0.100	प्रिंस सिंह पिता राजभान सिंह

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4
26	111/1/1	0.009	सियाराम सिंह पिता लाल बहादुर सिंह
27	111/1/2	0.028	रुस्तम सिंह पिता सियाराम सिंह
28	111/1/3	0.031	किशन सिंह पिता सियाराम सिंह
29	136/2	0.002	विनय कुमार पिता रामविशाल ब्रा०
30	137/1/1	0.172	अवधेश प्रसाद पिता रामलखन ब्रा० 1/6, मीरा पत्नी आत्माराम शुक्ला 1/6, मुनिमहेश पिता रामलखन ब्रा० 1/6, दसोदिया पत्नी सुदामाराम ब्रा० 1/2
31	137/1/2	0.039	बीरेश पिता रावेन्द्र सिंह बाघेल
32	137/1/3	0.038	विवेक शुक्ला पिता अवधेश शुक्ला
33	137/1/4	0.009	रमेश सिंह पिता रावेन्द्र सिंह बाघेल
34	137/1/5	0.009	अभिमन्यू सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह
35	137/1/6	0.009	दिलीप शुक्ला पिता अवधेश शुक्ला
36	137/2	0.170	प्रवेश पिता मदन ब्रा०
37	139/3	0.028	अवधेश प्रसाद पिता रामलखन ब्रा० 1/6, मीरा पत्नी आत्माराम शुक्ला 1/6, मुनिमहेश पिता रामलखन ब्रा० 1/6, दसोदिया पत्नी सुदामा ब्रा० 1/2
38	139/4/1	0.001	रामरती पति रामविशाल 1/6, भैयालाल पिता रामविशाल 1/6, मदनलाल पिता रामविशाल 1/6, हीरालाल पिता रामविशाल 1/6, विनय कुमार पिता रामविशाल 1/6, दिनेश कुमार पिता रामविशाल 1/6
39	139/4/2	0.001	रामरती पति रामविशाल 1/6, भैयालाल पिता रामविशाल 1/6, मदनलाल पिता रामविशाल 1/6, हीरालाल पिता रामविशाल 1/6, विनय कुमार पिता रामविशाल 1/6, दिनेश कुमार पिता रामविशाल 1/6
निजी भूमि का योग		3.493	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु ।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-515-भू-अर्जन-2023

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

**-: अनुसूची :-**

(1) भूमिकावर्णन--

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	चुरहट
(ग) ग्राम	-	टकटैया
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	टकटैया
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकवा 1.831 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4
01	591/1	0.001	संतमुनि पिता राममिलन ब्रा०
02	592/1	0.001	लाल बहादुर पिता इन्द्रभान पटेल
03	593/1	0.001	मनबसुआ बेवा सोभनाथ, चन्द्रकलिया, कुसुमी, सविता, अर्चना, गीता, राकेश पिता सोभनाथ, आशा बेवा पत्नी विकास, यज्ञनारायण, जगदीश पिता जगन्नाथ, लल्ली बेवा हरिप्रसाद, रीना, श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल
04	594/1	0.014	मोतीलाल पिता सुदर्शन पटेल
05	596/1	0.001	रामनिवास पिता शिवराज पटेल
06	598/1	0.025	मोतीलाल पिता सुदर्शन पटेल
07	599/1	0.038	धर्मदास, विषर्जन, राजमणि, पिता रामकुमार पटेल
08	600	0.020	धर्मदास, विषर्जन, राजमणि, पिता रामकुमार पटेल
09	601	0.020	रामशिरोमणि पिता मोलई प्रसाद कोल
10	602	0.020	मनबसुआ बेवा सोभनाथ, चन्द्रकलिया, कुसुमी, सविता, अर्चना, गीता, राकेश पिता सोभनाथ, आशा बेवा पत्नी विकास, यज्ञनारायण, जगदीश पिता जगन्नाथ, लल्ली बेवा हरिप्रसाद, रीना, श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल
11	603	0.018	लाल बहादुर पिता इन्द्रभान पटेल
12	605	0.002	मनबसुआ बेवा सोभनाथ, चन्द्रकलिया, कुसुमी, सविता, अर्चना, गीता, राकेश पिता सोभनाथ, आशा बेवा पत्नी विकास, यज्ञनारायण, जगदीश पिता जगन्नाथ, लल्ली बेवा हरिप्रसाद, रीना, श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4
13	606	0.044	मनबसुआ बेवा सोभनाथ, चन्द्रकलिया, कुसुमी, सविता, अर्चना, गीता, राकेश पिता सोभनाथ, आशा बेवा पत्नी विकास, यज्ञनारायण, जगदीश पिता जगन्नाथ, लल्ली बेवा हरिप्रसाद, रीना, श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल
14	607	0.050	उग्रसेन पिता सूर्यभान 1/3, रामकुमार पिता रामकरण 1/3, दुअसिआ बेवा गोपी, दलबीर, अभिमन्यू पिता गोपी 1/3 पटेल
15	608/1	0.050	मनसुखलाल पिता जुब्बा 1/3, इन्द्रलाल पिता जुब्बा 1/3, मुस० कैरी पति जुब्बा 1/3 पटेल
16	610	0.002	अमर सिंह पिता रतिलाल पटेल
17	611	0.006	रामप्रभाव पिता छोटेलाल
18	612	0.010	अमृतलाल पटेल 1/6, राजमणि 1/6, रघुपति 1/6, कातिमन 1/6, इन्द्रपति 1/6 पिता रामचन्द्र पटेल, मुस० छोटी देवी बेवा सम्पति 1/30, रीतू 1/30, रूपा 1/30, प्रज्ञा 1/30, प्रदीप 1/30 पिता सम्पति पटेल
19	613	0.040	अमृतलाल पटेल 1/6, राजमणि 1/6, रघुपति 1/6, कातिमन 1/6, इन्द्रपति 1/6 पिता रामचन्द्र पटेल, मुस० छोटी देवी बेवा सम्पति 1/30, रीतू 1/30, रूपा 1/30, प्रज्ञा 1/30, प्रदीप 1/30 पिता सम्पति पटेल
20	614	0.024	रामकिशोर, रामावतार, मुन्नालाल पिता बंशपती साहू
21	615	0.065	धर्मदास, विषर्जन, राजमणि, पिता रामकुमार पटेल
22	616/1	0.041	रामशिया पिता तिलकधारी पटेल
23	639/1	0.006	संतमुनि पिता राममिलन ब्राम्हण
24	640	0.030	संतमुनि पिता राममिलन ब्राम्हण
25	641	0.050	अशोक पिता चन्द्रभान
26	642	0.050	मुस० जुगुरी बेवा बृजभान 1/9, लालमणि 1/9, हेममणि 1/9, इन्द्रपति 1/9, काली 1/9, हिरौआ 1/9, सुवतिया 1/9, मट्टा 1/9 पिता बृजभान पटेल, मनबसुआ बेवा शेषमणि 1/36, दिनेश 1/36, नरेश 1/36, निर्मला 1/36, पिता शेषमणि पटेल
27	643	0.020	मुस० कौशिल्या पत्नी रामकृपाल, रामकिशोर, बाल्मीक, रामशरण पिता रामकृपाल, मोलीलाल, हीरालाल, लालबहादुर पिता सुदर्शन पटेल
28	644/1	0.002	रामनिवास पिता शिवराज पटेल
29	654	0.005	विश्रम पिता गजाधर 1/4, छोटेलाल पिता रामसुन्दर 1/6, चौरसिया बेवा चतुर 1/24, उमाशंकर 1/24, सरोज 1/24, संतरा 1/24 पिता चतुर, मीना देवी पिता गोवर्धन 1/30, रूपा 1/30, पूजा 1/30 दीपा 1/30, सूरज 1/30 पिता गोवर्धन, रामचरण 1/8, चित्रसेन 1/8 पिता महाबीर पटेल

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4
30	655	0.010	विश्रम पिता गजाधर 1/4, छोटेलाल पिता रामसुन्दर 1/6, चौरसिया बेवा चतुर 1/24, उमाशंकर 1/24, सरोज 1/24, संतरा 1/24 पिता चतुर, मीना देवी पिता गोवर्धन 1/30, रुपा 1/30, पूजा 1/30 दीपा 1/30, सूरज 1/30 पिता गोवर्धन, रामचरण 1/8, चित्रसेन 1/8 पिता महाबीर पटेल
31	656/1	0.008	मुस० कौशिल्या पत्नी रामकृपाल, रामकिशोर, बाल्मीक, रामशरण पिता रामकृपाल, मोलीलाल, हीरालाल, लालबहादुर पिता सुदर्शन पटेल
32	657	0.004	शिवशरण पिता विशेषर पटेल
33	659	0.040	शिवशरण पिता विशेषर पटेल
34	0.660	0.030	मुस० कौशिल्या पत्नी रामकृपाल, रामकिशोर, बाल्मीक, रामशरण पिता रामकृपाल, मोलीलाल, हीरालाल, लालबहादुर पिता सुदर्शन पटेल
35	661	0.040	मुस० कौशिल्या पत्नी रामकृपाल, रामकिशोर, बाल्मीक, रामशरण पिता रामकृपाल, मोलीलाल, हीरालाल, लालबहादुर पिता सुदर्शन पटेल
36	662	0.030	शियालाल पिता रामविशाल पटेल
37	663/1	0.027	अमृतलाल पटेल 1/6, राजमणि 1/6, रघुपति 1/6, कातिमन 1/6, इन्द्रपति 1/6 पिता रामचन्द्र पटेल, मुस० छोटी देवी बेवा सम्पति 1/30, रीतू 1/30, रुपा 1/30, प्रज्ञा 1/30, प्रदीप 1/30 पिता सम्पति पटेल
38	664/1	0.029	रामरूप पिता जागेश्वर कुर्मी
39	665/1	0.001	मोलई पिता कलन्दर तेली
40	667/1	0.020	मनबसुआ बेवा सोभनाथ, चन्द्रकलिया, कुसुमी, सविता, अर्चना, गीता, राकेश पिता सोभनाथ, आशा बेवा पत्नी विकास, यज्ञनारायण, जगदीश पिता जगन्नाथ, लल्ली बेवा हरिप्रसाद, रीना, श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल
41	668/1	0.009	मुस० जयमंती बेवा हरिप्रसाद, दिनेश कुमार पिता हरिप्रसाद, सुभकरण, राजकरण पिता सूर्यदीन पटेल
42	713	0.010	मुस० कौशिल्या पत्नी रामकृपाल, रामकिशोर, बाल्मीक, रामशरण पिता रामकृपाल, मोलीलाल, हीरालाल, लालबहादुर पिता सुदर्शन पटेल
43	714	0.010	मनबसुआ बेवा सोभनाथ, चन्द्रकलिया, कुसुमी, सविता, अर्चना, गीता, राकेश पिता सोभनाथ, आशा बेवा पत्नी विकास, यज्ञनारायण, जगदीश पिता जगन्नाथ, लल्ली बेवा हरिप्रसाद, रीना, श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल
44	715/1	0.009	मनबसुआ बेवा सोभनाथ, चन्द्रकलिया, कुसुमी, सविता, अर्चना, गीता, राकेश पिता सोभनाथ, आशा बेवा पत्नी विकास, यज्ञनारायण, जगदीश पिता जगन्नाथ, लल्ली बेवा हरिप्रसाद, रीना, श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4
45	716/1	0.001	मनबसुआ बेवा सोभनाथ, चन्द्रकलिया, कुसुमी, सविता, अर्चना, गीता, राकेश पिता सोभनाथ, आशा बेवा पत्नी विकास, यज्ञनारायण, जगदीश पिता जगन्नाथ, लल्ली बेवा हरिप्रसाद, रीना, श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल
46	717	0.025	अशोक पिता चन्द्रभान
47	718	0.020	रामगोपाल पिता रामकृष्ण पटेल
48	719	0.010	गणेश पिता जागेश्वर कुर्बी
49	720/1	0.004	मनबसुआ बेवा सोभनाथ, चन्द्रकलिया, कुसुमी, सविता, अर्चना, गीता, राकेश पिता सोभनाथ, आशा बेवा पत्नी विकास, यज्ञनारायण, जगदीश पिता जगन्नाथ, लल्ली बेवा हरिप्रसाद, रीना, श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल
50	722/1	0.058	मुस० जयमंती बेवा हरिप्रसाद, दिनेश कुमार पिता हरिप्रसाद, सुभकरण, राजकरण पिता सूर्यदीन पटेल
51	763/1/1	0.061	रामकुमार पिता द्वारिका पटेल
52	763/1/2	0.051	शिवगोविन्द्र पिता द्वारिका पटेल
53	764/1	0.042	शिवगोविन्द्र पिता द्वारिका पटेल
54	765	0.050	राजकिशोर पिता रामावतार 1/6, हीरा पिता रामावतार 1/6, ललउआ बेवा रामाधार 1/3, लछिमन 1/15, सम्भू प्रसाद 1/15, रामसुजान 1/15, राजेन्द्र 1/15, पिता लकुरदीन, रमा बेवा अशोक 1/45, दीपक 1/45, धनन्जय 1/45 पिता अशोक पटेल
55	767/1	0.005	मुस० जयमंती बेवा हरिप्रसाद, दिनेश कुमार पिता हरिप्रसाद, सुभकरण, राजकरण पिता सूर्यदीन पटेल
56	768/1	0.060	शिवगोविन्द्र पिता द्वारिका पटेल
57	769	0.020	राजकिशोर पिता रामावतार 1/6, हीरा पिता रामावतार 1/6, ललउआ बेवा रामाधार 1/3, लछिमन 1/15, सम्भू प्रसाद 1/15, रामसुजान 1/15, राजेन्द्र 1/15, पिता लकुरदीन, रमा बेवा अशोक 1/45, दीपक 1/45, धनन्जय 1/45 पिता अशोक पटेल
58	771	0.005	विश्राम पिता गजाधर 1/4, छोटेलाल पिता रामसुन्दर 1/6, चौरसिया बेवा चतुर 1/24, उमाशंकर 1/24, सरोज 1/24, संतरा 1/24 पिता चतुर, मीना देवी पिता गोवर्धन 1/30, रुपा 1/30, पूजा 1/30 दीपा 1/30, सूरज 1/30 पिता गोवर्धन, रामचरण 1/8, चित्रसेन 1/8 पिता महाबीर पटेल
59	774/1	0.024	उग्रसेन पिता सूर्यभान 1/3, रामकुमार पिता रामकरण 1/3, दुअसिआ बेवा गोपी, दलबीर, अभिमन्यू पिता गोपी 1/3 पटेल
60	775	0.060	मोतीलाल पिता सुदर्शन पटेल
61	776	0.007	उग्रसेन पिता सूर्यभान 1/3, रामकुमार पिता रामकरण 1/3, दुअसिआ बेवा गोपी, दलबीर, अभिमन्यू पिता गोपी 1/3 पटेल

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4
62	779	0.010	रामप्रभाव पिता छोटेलाल
63	780	0.030	मनबसुआ बेवा सोभनाथ, चन्द्रकलिया, कुसुमी, सविता, अर्चना, गीता, राकेश पिता सोभनाथ, आशा बेवा पत्नी विकास, यज्ञनारायण, जगदीश पिता जगन्नाथ, लल्ली बेवा हरिप्रसाद, रीना, श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल
64	781	0.015	मनसुखलाल पिता जुब्बा 1/3, इन्द्रलाल पिता जुब्बा 1/3, मुस० कैरी पति जुब्बा 1/3 पटेल
65	782	0.035	मनसुखलाल पिता जुब्बा 1/3, इन्द्रलाल पिता जुब्बा 1/3, मुस० कैरी पति जुब्बा 1/3 पटेल
66	783/1	0.006	रामरूप पिता जागेश्वर कुर्मी
67	7832	0.006	शेषमणि पिता जागेश्वर कुर्मी
68	784	0.014	अमृतलाल पटेल 1/6, राजमणि 1/6, रघुपति 1/6, कातिमन 1/6, इन्द्रपति 1/6 पिता रामचन्द्र पटेल, मुस० छोटी देवी बेवा सम्पति 1/30, रीतू 1/30, रुपा 1/30, प्रज्ञा 1/30, प्रदीप 1/30 पिता सम्पति पटेल
69	785	0.010	अमृतलाल पटेल 1/6, राजमणि 1/6, रघुपति 1/6, कातिमन 1/6, इन्द्रपति 1/6 पिता रामचन्द्र पटेल, मुस० छोटी देवी बेवा सम्पति 1/30, रीतू 1/30, रुपा 1/30, प्रज्ञा 1/30, प्रदीप 1/30 पिता सम्पति पटेल
70	788	0.012	मुस० जुगुरी बेवा बृजभान 1/9, लालमणि 1/9, हेममणि 1/9, इन्द्रपति 1/9, काली 1/9, हिरौआ 1/9, सुवतिया 1/9, मटरा 1/9 पिता बृजभान पटेल, मनबसुआ बेवा शेषमणि 1/36, दिनेश 1/36, नरेश 1/36, निर्मला 1/36, पिता शेषमणि पटेल
71	789	0.005	इन्द्रनिया बेवा चन्द्रशेखर 1/3, तिलकराज पिता चन्द्रशेखर 1/3, दिलराज पिता चन्द्रशेखर 1/3 तेली
72	840	0.001	धनमंती पत्नी रामागोविन्द पुष्परज, प्रदीप पिता रामागोविन्द, सम्भू प्रसाद, अवधलाल, पिता रामशिया पटेल
73	841	0.020	राजकिशोर पिता रामावतार 1/6, हीरा पिता रामावतार 1/6, ललउआ बेवा रामाधार 1/3, लछिमन 1/15, सम्भू प्रसाद 1/15, रामसुजान 1/15, राजेन्द्र 1/15, पिता ठकुरदीन, रमा बेवा अशोक 1/45, दीपक 1/45, धनन्जय 1/45 पिता अशोक पटेल
74	843/1	0.030	शिवशंकर पिता दलबीर काछी
75	844/1	0.032	रामधारी पिता रामचन्द्र 1/4, हीरामणि पिता हरिबंश 1/4, मोहनलाल पिता जगदीश 1/8, बुद्धिमान पिता जगदीश 1/8, शिवमूर्ति पिता दीनबन्धु 1/12, बासदेव पिता दीनबन्धु 1/12, संजय पिता हुब्बलाल 1/36, बसंतलाल पिता हुब्बलाल 1/36, सितली बेवा हुब्बलाल 1/36 कुर्मी
76	846/1/1	0.008	रजनीश पिता रघुनंदन पटेल
77	849/1	0.044	धनमंती पत्नी रामागोविन्द पुष्परज, प्रदीप पिता रामागोविन्द, सम्भू प्रसाद, अवधलाल, पिता रामशिया पटेल



क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4
78	851/1	0.001	रामचरित्र, लक्ष्मीनारायण, गेदवती, प्रेमवती, सुनीता पिता महाबीर कुशवाहा
79	852/1	0.027	बैजनाथ पिता काशी
80	853	0.001	धनमंती बेवा मुद्रिका
81	854/1/1	0.015	राजमणि पिता तीरथ प्रसाद कुशवाहा
82	854/2	0.003	सिद्धमुनि पिता तीरथ प्रसाद कुशवाहा
83	857/1	0.018	शिव शंकर पिता दलबीर काछी
84	858/1/1	0.007	आनन्द पिता रामप्रकाश
85	858/1/2	0.007	आनन्द पिता रामप्रकाश
86	860/1	0.002	सकुन्तला पिता द्वारिका कुशवाहा
87	861/1	0.002	आनन्द पिता रामप्रकाश
88	862	0.012	शोभनाथ पिता सरजू काछी
89	869	0.001	बिहारी 1/4, शुभकरण 1/4, रामकरण 1/4, राजकरण 1/4 पिता जगधारी
निजी भूमि का योग		1.831	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु ।

3. भूमि का नक्शा (प्लान)-उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-4541-जि.भू.अ.-2023

सिवनी, दिनांक 27 जून 2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

### अनुसूची

- 1- ग्राम का नाम :—थांवरी ब.नं.-266 प.ह.नं.-37  
 2- रा.नि.मं. :—बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी  
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-7.25 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म प्रगति	संख्या	प्रकार	कुर्सों का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	141	भूमिस्वामी	कृषि	0.28	सहतर पुत्र श्यामी जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	पंचमलाल पिता सुम्न जाति गोंड की भूमि	छलबलिया पुत्र जयराम गोंड की भूमि	पंचमलाल पिता सुम्न जाति गोंड की भूमि	शासकीय (चारगाह)	-	-	-	-
2	140/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.44	पंचलाल पिता सुम्न जाति गोंड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	केशरी पुत्र सुम्न जाति गोंड की भूमि	छलबलिया पुत्र जयराम गोंड की भूमि	गीताबाई बेबा बंजारीलाल बगौरा जाति कलार की भूमि	सहतर पुत्र श्यामी जाति गोंड की भूमि	-	-	-	-
3	136	भूमिस्वामी	कृषि	0.24	छलबलिया पुत्र जयराम जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी	तुलाराम पुत्र डुलीचंद महारा की भूमि	मु. गनिया पति झीनो जाति महारा की भूमि	सहतर पुत्र श्यामी जाति गोंड की भूमि	केशरी पुत्र सुम्न जाति गोंड की भूमि	-	-	-	-

4	144/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.35	मु. गनिया पत्नि झीनो जाति महरा पता सा. देह भूमिस्वामी	छलबलिया पुत्र जयराम जाति गोंड की भूमि	रामफल पिता झीनो जाति महरा की भूमि	गोविन्द पिता अमीरचंद जाति कलार की भूमि	गौरीशंकर पिता अमीरचंद जाति कलार की भूमि	-	-	-	-
5	160/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.22	राजाराम पुत्र तुलसीराम जाति कलार पता सा. देह भूमिस्वामी	दिविनकुमार उर्फ देवेन्द्रकुमार पुत्र भैयालाल जाति कलार की भूमि	राधेश्याम पुत्र तुलसीराम जाति कलार की भूमि	महाबीर पुत्र तुलसीराम जाति कलार की भूमि	मु. गनिया पत्नि झीनो जाति महरा की भूमि	-	-	-	-
6	160/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	महाबीर पुत्र तुलसीराम जाति कलार पता सा. देह भूमिस्वामी	सुनीलकुमार पुत्र फकीरा जाति-महरा की भूमि	गोदावरी ध0प0स्व0 कृपाराम बगैरा जाति कलार की भूमि	देबीप्रसाद पुत्र ढबूसिंह जाति कलार की भूमि	राजाराम पुत्र तुलसीराम जाति कलार की भूमि	-	-	-	-
7	158	भूमिस्वामी	कृषि	0.34	गोदावरी ध0प0स्व0 कृपाराम राजेन्द्र रेखा कंचन पिता कृपाराम जाति कलार पता सा. देह भूमिस्वामी	महाबीर पुत्र तुलसीराम जाति कलार की भूमि	सुमरलाल बगैरा पिता छिदामी की भूमि	शासकीय (चारागाह)	राधेश्याम पुत्र तुलसीराम जाति कलार की भूमि	-	-	-	-
8	159/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	कांतीबाई पति ढबूलाल जाति कलार पता सा. देह भूमिस्वामी	देबीप्रसाद पुत्र ढबूसिंह जाति कलार की भूमि	गोदावरी ध0प0स्व0 कृपाराम बगैरा जाति कलार की भूमि	शासकीय (चारागाह)	महाबीर पुत्र तुलसीराम जाति कलार की भूमि	-	-	-	-
9	205	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	शुभम नाबा पिता वो बली ओमप्रकाश जाति कलार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	रामकेश पिता लेखराम जाति कलार की भूमि	अनोखीबाई बेवा तामसिंह बगैरा जाति कलार की भूमि	शुभम ना.बा.पिता वो बली ओमप्रकाश जाति कलार की भूमि	शासकीय (चारागाह)	-	-	-	-

10	210/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.40	अनोखीबाई बेवा तामसिंह रघुनाथ, रघुवीर पुत्र तामसिंह, शांता, शांती, सोमवती पुत्री तामसिंह जाति कलार पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	शुभम ना.बा.पिता बो बली ओमप्रकाश जाति कलार की भूमि	रघुनाथ पिता तामसिंह कलार की भूमि	रामकली ध.प.स्व.गोपाल बगैरा जाति महारा की भूमि	बसोडीलाल, बंशीलाल पिता लखन की भूमि	-	-	-	-
11	210/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	रघुनाथ पिता तामसिंह कलार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनोखीबाई बेवा तामसिंह बगैरा जाति कलार की भूमि	रघुवीर पिता तामसिंह कलार की भूमि	विनोद पिता मचल बगैरा जाति गोंड, की भूमि	बसोडीलाल, बंशीलाल पिता लखन की भूमि	-	-	-	-
12	206	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	शुभम नाबा पिता वो बली ओमप्रकाश जाति कलार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	रामकेश पिता लेखराम जाति कलार की भूमि	अनोखीबाई बेवा तामसिंह बगैरा जाति कलार की भूमि	शुभम ना.बा.पिता बो बली ओमप्रकाश जाति कलार की भूमि	शुभम ना.बा.पिता बो बली ओमप्रकाश जाति कलार की भूमि	-	-	-	-
13	208	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	रामकली ध0प0स्व0 गोपाल दीनानाथ, रघुनाथ, पूनमचंद, पुष्पा, गीता, संगीता, पिता स्व0 गोपाल मेहरा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	पैसो पति रामकुमार जाति महारा की भूमि	अनोखीबाई बेवा तामसिंह बगैरा जाति कलार की भूमि	पैसो पति रामकुमार जाति महारा की भूमि	रामकेश पिता लेखराम जाति कलार की भूमि	-	-	-	-
14	209	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	विनोद पिता मचल जाति गोंड, सुनील कुमार पिता राजकुमार जाति गोंड, नीलम पिता राजकुमार जाति गोंड, ममता पिता मचल जाति गोंड पता थांवरी सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	पैसो पति रामकुमार जाति महारा की भूमि	शासकीय (चारागाह)	झामसिंह पुत्र सुरज जाति गोंड की भूमि	अनोखीबाई बेवा तामसिंह बगैरा जाति कलार की भूमि	-	-	-	-

15	235	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	आमसिंह पुत्र सुरज जाति गोड पता सा. देह भूमिस्वामी	मु. गिरजाबाई ध.प.स्व. डीलनसिंह जाति गोड की भूमि	जगतसिंह पुत्र सुरज जाति गोड की भूमि	बलबन्तकुमार पुत्र लेखराम गोड की भूमि	विनोद पिता मवल बौरा जाति गोड की भूमि	-	-	-	-
16	234/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	जगतसिंह पुत्र सुरज जाति गोड पता सा. देह भूमिस्वामी	आमसिंह पुत्र सुरज जाति गोड की भूमि	प्रदीप पिता गंजीलाल बौरा की भूमि	मु. गिरजाबाई ध.प.स्व. डीलनसिंह जाति गोड की भूमि	आमसिंह पुत्र सुरज जाति गोड की भूमि	-	-	-	-
17	236	भूमिस्वामी	कृषि	0.38	बलबन्तकुमार पुत्र लेखराम गोड पता सा. देह भूमिस्वामी	मु. गिरजाबाई ध.प.स्व. डीलनसिंह जाति गोड की भूमि	मु. गिरजाबाई ध.प.स्व. डीलनसिंह जाति गोड की भूमि	यशबन्तकुमार पुत्र लेखराम गोड की भूमि	आमसिंह पुत्र सुरज जाति गोड की भूमि	-	-	-	-
18	224	भूमिस्वामी	कृषि	0.47	मु. गिरजाबाई ध.प.स्व. डीलनसिंह जाति गोड पता सा. देह भूमिस्वामी	यशबन्तकुमार पुत्र लेखराम गोड की भूमि	मु. मन्तो पुत्री मवलसिंह जाति गोड की भूमि	गोबिन्दप्रसाद पिता अमीरचंद जाति कलार की भूमि	प्रदीप पिता गंजीलाल बौरा की भूमि	-	-	-	-
19	237	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	जयंती बेदा यशबन्त जाति गोड, आस्तिक ना.बा. पुत्र यशबन्त संरक्षक मों जयंती, अभिरूप ना.बा. पिता यशबन्त संरक्षक मों जाति गोड पता थांवरी सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	मु. गिरजाबाई ध.प.स्व. डीलनसिंह जाति गोड की भूमि	मु. गिरजाबाई ध.प.स्व. डीलनसिंह जाति गोड की भूमि	गोबिन्दप्रसाद पिता अमीरचंद जाति कलार की भूमि	बलबन्तकुमार पुत्र लेखराम गोड की भूमि	-	-	-	-
20	250	भूमिस्वामी	कृषि	0.50	गोबिन्दप्रसाद पिता अमीरचंद जाति कलार पता सा. देह भूमिस्वामी	मु. गिरजाबाई ध.प.स्व. डीलनसिंह जाति गोड की भूमि	सुमरलाल बौरा पिता बडगू जाति गोड की भूमि	गोबिन्दप्रसाद पिता अमीरचंद जाति कलार की भूमि	यशबन्तकुमार पुत्र लेखराम गोड की भूमि	-	-	-	-

21	249	भूमिस्वामी	कृषि	0.59	सोबिन्द पिता अमीरचंद जाति कलार पता सा. देह भूमिस्वामी	मु. गिरजाबाई घ.प.स्व. डीलनसिंह जाति गोंड की भूमि	सुमरलाल बौरा पिता बडगू जाति गोंड की भूमि	उमेशसिंह पिता भैयालाल जाति कहार की भूमि	गोबिन्दप्रसाद पिता अमीरचंद जाति कलार की भूमि	-	-	-	-
22	258/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.99	उमेशसिंह पिता भैयालाल जाति कलार पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	उमेशसिंह पिता भैयालाल जाति कहार की भूमि	गयावती पुत्री कुंवरसिंह जाति मेहरा की भूमि	अम्मीलाल पुत्र सम्मू जाति गोंड की भूमि	सोबिन्दप्रसाद पिता अमीरचंद जाति कलार की भूमि	-	-	-	-
23	257/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.30	अम्मीलाल पुत्र सम्मू जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी	मु. कमलाबाई पत्नि अम्मीलाल जाति गोंड की भूमि	मंगलप्रसाद पुत्र कुंवरसिंह जाति मेहरा की भूमि	पुसु पुत्र तेजु जाति गोंड की भूमि	उमेशसिंह पिता भैयालाल जाति कहार की भूमि	-	-	-	-
24	253	भूमिस्वामी	कृषि	0.22	टेकचंद पुत्र देबजी पता सा. देह भूमिस्वामी	पुसु पुत्र तेजु जाति गोंड की भूमि	मंगलप्रसाद पुत्र कुंवरसिंह जाति मेहरा की भूमि	शासकीय (चारागाह)	अम्मीलाल पुत्र सम्मू जाति गोंड की भूमि	-	-	-	-
25	361/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.65	सुनील पुत्र रामरतन जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी	अम्मीलाल पुत्र सम्मू जाति गोंड की भूमि	म.प्र. शासन सिवाई सिवनी की भूमि	मु. लक्ष्मीबाई पुत्री करनसिंह की भूमि	शासकीय (चारागाह)	-	-	-	-
26	362/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	आनंद, कुजुमबाई, लक्ष्मीबाई, कौशल्याबाई अहिल्या पिता करनसिंह जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी	मु. लक्ष्मीबाई पुत्री करनसिंह की भूमि	शासकीय (चारागाह)	शासकीय (चारागाह)	सुनील पुत्र रामरतन जाति गोंड की भूमि	-	-	-	-

27	252/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	मंगलप्रसाद पुत्र कुंवरसिंह जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	टेकचंद पुत्र देवजी की भूमि	गयावती पुत्री कुंवरसिंह जाति मेहरा की भूमि	शासकीय(घर गाह)	अमीलाल पुत्र सम्मू जाति गोंड लो भूमि	-	-	-	-
योग				7.25									

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**क्षितिज सिंघल**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-अ-82-2022-23

रायसेन, दिनांक 4 जुलाई 2023

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची कं-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

### अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	उदयपुर	ग्राम दिघावन प.ठ.नं. दिघावन तहसील देवरी	कुल 0.919 हे.	भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र.	चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-3 के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम दिघावन की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

### अनुसूची-2

#### (प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-3 के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम दिघावन की निजी भूमि				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	हल्केवीर पिता हल्का चमार	498/1	0.466	0.075
2	रामकुमार पिता हल्केवीर अहिरवार	498/2	0.706	0.060
3	गनपत आ.हल्केवीर अहिरवार	498/3	0.707	0.035
4	गोविन्द पिता हल्केवीर अहिरवार	498/4	0.708	0.035
5	भुजवल पिता हल्केवीर अहिरवार	498/5	0.711	0.035
6	सोमतीबाई पत्नि रामदयाल चमार	497/1	0.809	0.070



7	मानसिंह पिता दलीप सिंह लोधी	497/2/1	1.790	0.090
8	तुलसीराम पिता मूरत सिंह काछी	496/1	0.971	0.165
9	नोनीबाई बेवा मूरत सिंह, भोजराज, तुलसीराम,प्रभाबाई, ममताबाई पुत्र/पुत्री मूरत सिंह काछी	496/2/1	1.381	0.065
10	शिशुपाल पिता संतोष कुमार लोधी	496/2/2	0.405	0.054
11	रामरतन पिता दुर्गाप्रसाद काछी	493/1/1	0.470	0.060
12	वतीबाई बेवा पूरन, नारायण सिंह आ.पूरन, इन्द्रकुमार, सोना, वंदना, खिलौनी पुत्र/पुत्रीया संतोष कुमार काछी	493/1/2	0.470	0.040
13	श्रीलाल पिता मंगलसिंह काछी	493/1/3	0.470	0.030
14	मुन्नालाल पिता भाव सिंह, अम्मोबाई बेवा भाव सिंह, मुन्नीबाई, बेवा धन्नुलाल, खुशीलाल, विष्णु ,आकाश पिता धन्नुलाल काछी,हीराबाई पिता भाव सिंह दिघावन देवरी	493/1/4	0.470	0.030
15	मूंगाराम पिता मोहन काछी	493/1/5/1	0.628	0.040
16	प्रीतम सिंह पिता अजमेर सिंह लोधी	493/2	0.809	0.035
<b>कुल योग-</b>			<b>11.971</b>	<b>0.919</b>

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन है। प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरे हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन रूजित नहीं करेगा।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवन्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के दमक प्रस्तुत कर सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवन्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.raisen.nic.in](http://www.raisen.nic.in) एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग शोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रा.प्र.क्र.-02-अ-82-2022-23-सहेली-10086

नर्मदापुरम, दिनांक 06 जुलाई 2023

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची क्रमांक-1

ग्राम सहेली	तहसील इटारसी	जिला नर्मदापुरम	
क्र0	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।	कुल रकबा	अर्जित रकबा
	निजी भूमि इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु	1.086	1.020

अनुसूची क्रमांक-2

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	सुमरती वेवा अधीरा, कृष्णा नाबालिग पिता अधीरा वली माँ सुमरती, राहुल नाबालिग पिता अधीरा, कैलाश पिता शंभूदयाल, हीरालाल पिता शंभूदयाल, मीराबाई पुत्री शंभूदयाल, हिरियाबाई पुत्री शंभूदयाल, भागवती पुत्री शंभूदयाल	130/1/1	1.918	0.312	निरंक
2	समोतीबाई वेवा संभूलाल, सुशीला पुत्री संभूलाल, सरिता पुत्री संभूलाल, उमेश पिता संभूलाल, अमिता पुत्री संभूलाल, संतोष पिता संभूलाल	30/3/1	1.614	0.293	निरंक
3	भैयालाल वल्द अमरसिंह	30/2/2/1	1.584	0.156	निरंक
4	शंकरलाल वल्द अमरसिंह	30/1/2/1	4.310	0.162	निरंक
5	मंगला पुत्री उमाशंकर	39/1	7.405	0.097	निरंक
	योग-	-	29.871	1.020	

(भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश

प्र.क्र.-157-अ.क.नि.-भू-अर्जन-2023-24

शिवपुरी, दिनांक 4 जुलाई 2023

म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लव भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/2ए भोपाल दिनांक 12/11/2014 के अनुक्रम में विभाग/उपक्रम के लिए भूमि क्रय करने हेतु प्रस्ताव प्रारूप-क में धारक को भेजने के उपरान्त प्रारूप-ख में निम्नानुसार धारकों द्वारा भूमि विभाग/उपक्रम करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

स. क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	भूमि खसरा नम्बर	कुल क्षेत्र हे. में	अर्जित रकबा हे. में	अन्य संपत्ति	अन्य संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8
1	केरुआ	मिल्ली बाई देवा सिकन्दर जाति आदिवासी पता नि. केरुआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/40 भाग भूमि स्वामी वनबारी पुत्र मलथू जाति आदिवासी पता नि. केरुआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी घन्ती पुत्री मलथू जाति आदिवासी पता नि. केरुआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी कल्लो पुत्री मलथू जाति आदिवासी पता नि. केरुआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी गिरवर पुत्र मलथू जाति आदिवासी पता नि. केरुआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी प्रकाश पुत्र सिकन्दर जाति आदिवासी पता नि. केरुआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/40 भाग भूमि स्वामी अजमेर पुत्र सोनपाल जाति आदिवासी सपता नि. केरुआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/60 भाग भूमि स्वामी कैलाश पुत्र सोनपाल जाति आदिवासी पता नि. केरुआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/60 शिवजी पुत्र सोनपाल जाति आदिवासी पता नि. केरुआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भाग 1/60 भूमि स्वामी भूरी देवा श्यामा भाग जाति आदिवासी पता नि. केरुआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी प्रकाश पुत्र राजाराम जाति आदिवासी पता नि. केरुआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/80 भाग भूमि स्वामी अजमेर पुत्र राजाराम जाति आदिवासी पता नि.	173	0.65	0.072		



		भूमि स्वामी बसन्ती पुत्री सरमन जाति आदिवासी पता नि. कैरुआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी				
2	कैरुआ	मिल्ली बाई देवा सिकन्दर जाति आदिवासी पता नि. कैरुआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/40 भाग भूमि स्वामी बनबारी पुत्र मलथू जाति आदिवासी पता नि. कैरुआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी घन्ती पुत्री मलथू जाति आदिवासी पता नि. कैरुआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी कल्लो पुत्री मलथू जाति आदिवासी पता नि. कैरुआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी गिरवर पुत्र मलथू जाति आदिवासी पता नि. कैरुआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी प्रकाश पुत्र सिकन्दर जाति आदिवासी पता नि. कैरुआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/40 भाग भूमि स्वामी अजमेर पुत्र सोनपाल जाति आदिवासी सपता नि. कैरुआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/60 भाग भूमि स्वामी कैलाश पुत्र सोनपाल जाति आदिवासी पता नि. कैरुआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भाग 1/60 भूमि स्वामी भूरी देवा श्यामा भाग जाति आदिवासी पता नि. कैरुआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी प्रकाश पुत्र राजाराम जाति आदिवासी पता नि. कैरुआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/80 भाग भूमि स्वामी अजमेर पुत्र राजाराम जाति आदिवासी पता नि. कैरुआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/80 भाग भूमि स्वामी कैलाश पुत्र राजाराम जाति आदिवासी पता नि. कैरुआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/80 भाग भूमि स्वामी शिवजी पुत्र राजाराम जाति आदिवासी पता नि. कैरुआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/80 भाग भूमि स्वामी रमेश पुत्र रतना जाति आदिवासी पता नि. कैरुआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी कुन्ती पुत्री रतना जाति आदिवासी पता नि. कैरुआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी मीरा पुत्री	174	1.00	0.036	

		<p>रतना जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी माखे पुत्र रंधीरा जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी नन्दू पुत्र रंधीरा जाति आदिवासी पता नि. जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी दिनिया वेवा छत्तू जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/90 भाग भूमि स्वामी रामचरण पुत्र छत्तू जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/90 भाग भूमि स्वामी रूपसिंह पुत्र छत्तू जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/90 भाग भूमि स्वामी गजराजसिंह पुत्र छत्तू जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/90 भाग भूमि स्वामी शिवसिंह पुत्र छत्तू जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/90 भाग भूमि स्वामी पूरन पुत्र छत्तू जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/90 भाग भूमि स्वामी पुनिया वेवा सरमन जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी हाकिम पुत्र सरमन जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी विशाल पुत्र सरमन जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी ब्रजन्ती पुत्री सरमन पुत्र जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी मथुरा पुत्री सरमन जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी बसन्ती पुत्री सरमन जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी</p>					
3	कैरूआ	<p>झलको वेवा गुलाबसिंह जाति रावत पता नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 19/196 भाग भूमि स्वामी अजीत पुत्र नवलसिंह जाति रावत पता नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 147/196 भाग भूमि स्वामी रेखा पुत्री नवलसिंह जाति रावत पता नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 15/196 भाग भूमि स्वामी शंशाबाई बेवा नवलसिंह जाति रावत पता नरवर शिवपुरी</p>	247	1.19	0.236	नीम का एक पेड़	

		मध्यप्रदेश 15/196 भाग स्वामी भू-राजस्व 3.50 तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी					
4	केरूआ	चन्द्रभानसिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति रावत पता नि. ग्राम शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी जयमान सिंह पुत्र सुन्दरसिंह जाति रावत पता नि. ग्राम शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	248	0.03	0.0048		
5	केरूआ	राजेश्वरी पत्नी भानसिंह बघेल नि. ग्राम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी।	306	0.29	0.044		
6	केरूआ	होतमसिंह पुत्र उदयसिंह जाति रावत पता केरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 33/120 भाग भूमि स्वामी आतम सिंह पुत्र उदयसिंह जाति रावत पता केरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 33/120 भाग भूमि स्वामी माधूसिंह पुत्र उदयसिंह जाति रावत पता केरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 13/120 भाग भूमि स्वामी लोकसिंह पुत्र उदय सिंह जाति रावत पता केरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 13/120 भाग भूमि स्वामी रामनाथसिंह पुत्र उदयसिंह जाति रावत पता केरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 13/120 भाग भूमि स्वामी सुमित्रा देवा उदयसिंह जाति रावत पता केरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी मुन्नी पुत्री उदय सिंह जाति रावत पता केरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी रामवती पत्नी हाकिम सिंह जाति रावत पता केरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/96 भाग भूमि स्वामी नरेश सिंह पुत्र हाकिम सिंह जाति रावत पता केरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/96 भाग भूमि स्वामी रबूदी उर्फ प्रीति पुत्री हाकिम सिंह जाति रावत पता केरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/96 भाग भूमि स्वामी सद्दीना उर्फ अनीता पुत्री हाकिमसिंह जाति रावत पता केरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/96 भाग भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	308	0.63	0.048	नीम का एक पेड	
7	केरूआ	शीला बाई पत्नि नवल सिंह पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 30/138 भाग भूमि स्वामी अजीत सिंह पुत्र नवल सिंह पता केरूआ नरवर शिवपुरी	309	0.69	0.048	आम का एक पेड,	

		मध्यप्रदेश 30/138 भाग भूमि स्वामी राजेन्द्र पुत्र गुलाबसिंह पता कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 39/69 भाग भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी				एक ट्यूबेल, पानी की एक टंकी	
8	केरूआ	रामश्री पिता मौजी जाति जाटव पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी मोहन सिंह पुत्र मौजीराम जाति जाटव पता नि कैरूआ शिवपुरी मध्यप्रदेश 7/8 भाग भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	310	0.45	0.020		
9	केरूआ	राजेन्द्र सिंह पुत्र गुलाबसिंह रावत नि. ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी।	398	0.46	0.084		
10	केरूआ	लटोरी पुत्र सरूआ जाति जाटव पता नि.ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी।	416	0.19	0.024		
11	केरूआ	लटोरी पुत्र सरूआ जाति जाटव पता नि.ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी।	418	0.1	0.024		
12	केरूआ	लटोरी पुत्र सरूआ जाति जाटव पता नि.ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी।	419	0.23	0.024		
13	केरूआ	लालसिंह पुत्र किशनलाल जाति रावत पता कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	420	0.52	0.064		
14	केरूआ	होतमसिंह पुत्र उदयसिंह जाति निल पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 3/15 भाग भूमि स्वामी आतमसिंह पुत्र उदयसिंह जाति निल पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 3/15 भाग भूमि स्वामी लोकसिंह पुत्र उदयसिंह जाति निल पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 3/15 भाग भूमि स्वामी चन्द्राबाई पत्नी सुरेश कुमार जाति निल पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 2/5 भाग भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी।	430	0.57	0.072		
15	केरूआ	सुमित्राबाई बेवा उदयसिंह जाति रावत पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 5/40 भाग भूमि स्वामी आतमसिंह पुत्र उदयसिंह जाति रावत पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 5/40 भाग भूमि	432	0.32	0.048		



		स्वामी होतग सिंह पुत्र उदयसिंह जाति रावत 5/40 भाग पता शिवपुरी मध्यप्रदेश लोकसिंह पुत्र उदयसिंह जाति रावत 5/40 पता शिवपुरी मध्यप्रदेश मुन्नीबाई पुत्री उदयसिंह जाति रावत पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 5/40 भाग भूमि स्वामी रामवती बेवा पत्नी हाकिम सिंह जाति रावत पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/32 भाग भूमि स्वामी नरेश सिंह पुत्र हाकिमसिंह जाति रावत पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/32 भाग भूमि स्वामी रवूदी उर्फ प्रीति पुत्री हाकिमसिंह जाति रावत पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/32 भाग भूमि स्वामी सवीना उर्फ अनीता पुत्री हाकिम सिंह पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/32 चन्द्राबाई पत्नी सुरेश कुमार जाति जाटव पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी					
16	केरूआ	सुमित्रा पत्नी उदयसिंह जाति रावत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश	549	0.45	0.086		
17	केरूआ	सुमित्रा पत्नी उदयसिंह जाति रावत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी।	551/1	0.60	0.068		
18	केरूआ	मुन्नी बेवा रामकिशन जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय कल्लू पुत्र रामकिशन जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय गब्बर पुत्र रामकिशन जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय लक्ष्मीनारायण पुत्र रामकिशन जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय गिरजा पुत्री रामकिशन जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय फूलवती बेवा मोहरसिंह जाति आदिवासी पता ग्राम केरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/42 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय चिमन सिंह पुत्र मोहरसिंह जाति आदिवासी पता ग्राम केरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/42 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय रुपाली पुत्री मोहरसिंह जाति आदिवासी पता ग्राम केरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/42 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय अंजलि पुत्री मोहरसिंह जाति	568	1.94	0.124		

		आदिवासी पता ग्राम कैरुआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/42 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय किशन नाबालिक पुत्र मोहरसिंह सरपरस्त माँ स्वयं फूलवती जाति आदिवासी पता ग्राम कैरुआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/42 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय कबीर नाबालिक पुत्र मोहरसिंह सरपरस्त माँ स्वयं फूलवती जाति आदिवासी पता ग्राम कैरुआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/42 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय सुबीर नाबालिक पुत्र मोहरसिंह सरपरस्त माँ स्वयं फूलवती जाति आदिवासी पता ग्राम कैरुआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/42 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय				
19	कैरुआ	प्रतिपाल पुत्र लालचंद जाटव पता निवासी ग्राम कैरुआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय ओमप्रकाश पुत्र लालचंद जाटव पता निवासी ग्राम कैरुआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय मलखान पुत्र लालचंद जाटव पता निवासी ग्राम कैरुआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय धर्मेन्द्र पुत्र लालचंद जाटव पता निवासी ग्राम कैरुआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय सत्री पुत्र लालचंद जाटव पता निवासी ग्राम कैरुआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय राजवती पुत्री लालचंद जाटव पता निवासी ग्राम कैरुआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय कल्लोबाई पुत्री लालचंद जाटव पता निवासी ग्राम कैरुआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय	569 / 2	1.00	0.028	
20	कैरुआ	रामकली बेवा लक्ष्मण जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी इन्दर सिंह पुत्र लक्ष्मण जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी राधा नाबालिक पुत्री लक्ष्मण जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी सीमा नाबालिक पुत्री लक्ष्मण जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी रती पुत्री	571	1.94	0.080	

	लक्ष्मण जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी धन्नो पुत्री चेहू जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी					
	योग-			1.2348		

म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लव भवन भोपाल के ज्ञापन दिनांक 12.11.2014 की कंडिका 11(1) ,12 अनुसार उक्तानुसार भूमि धारकों द्वारा भूमि विभाग /उपक्रम को हस्तांतरित करने के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो, प्रकाशन दिनांक के 15 दिवसों के भीतर आपत्ति कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकंती है। म्याद उपरान्त प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा एवं प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-4939-जि.भू.अ.-2023

सिवनी, दिनांक 10 जुलाई 2023

धारा-6

(नियम 5)

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2023-24 प्रबंधक (निर्माण) गेल इंडिया लिमिटेड कैम्प कार्यालय होटल रायल आर्बिट तिलवारा ब्रिज के पास नागपुर रोड, जबलपुर जिला जबलपुर द्वारा नागपुर-छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइप लाईन परियोजना के निर्माण में गैस पाइप लाइन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम मारबोडी पटवारी हल्का नं. 18 रा.नि.मं. बंडोल तहसील सिवनी जिला सिवनी की निजी भूमि खं.न. 833 अर्जित रकबा 0.31हैं. का अर्जन करना चाहता है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ख' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है, जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्रारूप "ख" एवं "ग"

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2023-24 गाम-मारबोडी प.ह.नं. 18, रा.नि.मं.-बंडोल, तहसील-सिवनी व जिला सिवनी

प्रारूप - ख

(नियम 5)

सामाजिक समाघात रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर-छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना का निर्माण कार्य।
2	लोक प्रयोजन	परियोजना से कंपनी को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे पर सी.एन.जी. पम्प खुलने की संभवना, पाईप लाईन से गैस सीधे रसोई घर तक पहुंचगी।
3	स्थान	ग्राम - मारबोडी प0ह0नं0 18 रा.नि.मं. - बंडोल तहसील सिवनी व जिला सिवनी
4	परियोजना का क्षेत्र	निजी भूमि खं.न. 833 अर्जित रकबा 0.31हैं.
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया है।	गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर-छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइप लाईन की परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	गेल इंडिया लिमि. भारत सरकार का एक महारत्न उपक्रम है, जो प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है।
7	परियोजना निर्माण के चरण	प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है।
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है।
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	ग्राम - मारबोडी प0ह0नं0 18 रा.नि.मं. - बंडोल की निजी भूमि खं.न. 833 अर्जित रकबा 0.31हैं.
10	भूमि का मूल्य	कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2023-24 में निर्धारित भूमि के मूल्य के अनुसार
11	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या(अधिनियम की धारा 3 के खंड(ग) के अनुसार	रूक

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2023-24 गाम-मारबोडी प.ह.नं. 18, रा.नि.मं.-बंडोल, तहसील-सिवनी व जिला सिवनी

12	परिसंपत्तियां	निरंक
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई	निरंक
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातो का विवरण (ख)समाघातो की संकेतक सूची	सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन। 1. सामाजिक प्रभाव आंकलन - परिवार विस्थापन एवं पुनर्बसाहट, शिक्षा, समुदाय की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाये 2. निर्मित संरचना - इमारत का प्रकार, स्थिति, उपस्थिति 3. आर्थिक मूल्यांकन - रोजगार और आय के स्रोत 4. सामाजिक पर्यावरण - म.प्र. पर्यावरण प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक MPPCB/JBP/116413 दिनांक 16/09/2022 के अनुसार सामाजिक पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त है।
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया हो (क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्तावों की अधिमन्यता क्यों दी गयी। (ख) यदि नहीं तो क्यों नहीं	परियोजना से विभिन्न कंपनियों को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे और शहर में सी.एन.जी. पम्प खुलगे, परियोजना जनहितकारी है। -
16	प्रस्ताव का निष्कर्ष	गेल इंडिया लिमि. भारत सरकार का एक महारत्न उपक्रम है, इसके द्वारा नागपुर से जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाइन परियोजना के अंतर्गत सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण किया जाना है। यह योजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत है। अतः सामाजिक समाघात अध्ययन दल लोक प्रयोजन कार्य को देखते हुए योजना के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन की अनुसंसा करता है।

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2023-24 गाम-मारबोडी प.ह.नं. 18, रा.नि.मं.-बंडोल, तहसील-सिवनी व जिला सिवनी

प्रारूप - ग  
(नियम 5)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं
2	लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियाँ	प्रभावित नहीं
3	आस्तियाँ और अधोसंरचना विशेषकर सड़के लोक परिवहन	प्रभावित नहीं
4	जल - मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं
6	पशुओं के लिये पेयजल स्रोत	प्रभावित नहीं
7	सामुदायिक तलाब	प्रभावित नहीं
8	जन सुविधाएँ(पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएँ स्कूल आंगनबाड़ी बालउद्यान और श्मशान कब्रिस्तान)	उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नहीं हो रही है।
9	वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	बिन्दु क्रमांक 1 से लगाकर बिन्दु क्रमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है।
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।	यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा।

क्र.-4940-जि.भू.अ.-2023

## धारा-6

## (नियम 5)

प्रकरण क्रमांक 0004/अ-82/2023-24 प्रबंधक (निर्माण) गेल इंडिया लिमिटेड कैम्प कार्यालय होटल रायल आर्बिट तिलवारा ब्रिज के पास नागपुर रोड जबलपुर जिला जबलपुर द्वारा नागपुर -छिदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइप लाईन परियोजना के निर्माण में गैस पाइप लाइन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर संक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम बंजारी पटवारी हल्का नं. 06 रा.नि.मं. धूमा तहसील लखनादौन जिला सिवनी की निजी भूमि ख.न. 158/1 अर्जित रकबा 0.43है. का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ख' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है, जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्रारूप "ख" एवं "ग"

प्र. क्र. 0004/अ-82/2023-24 ग्राम-बंजारी, प.ह.नं. 06, रा.नि.मं.-तहसील-लखनादौन व जिला सिवनी

## प्रारूप - ख

## (नियम 5)

## सामाजिक समाघात रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर-छिदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइप लाईन परियोजना का निर्माण कार्य।
2	लोक प्रयोजन	परियोजना से कंपनी को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे पर सी.एन.जी. पंप खुलने की संभवना, पाइप लाईन से गैस सीधे रसोई घर तक पहुंचगी।
3	स्थान	ग्राम - बंजारी प0ह0नं0 06 रा.नि.मं. - धूमा तहसील लखनादौन व जिला सिवनी
4	परियोजना का क्षेत्र	निजी भूमि ख.न. 158/1 अर्जित रकबा 0.43है.
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया है।	गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर -छिदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइप लाईन की परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर संक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	गेल इंडिया लिमि. भारत सरकार का एक महारत्न उपक्रम है, जो प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है।
7	परियोजना निर्माण के चरण	प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है।
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है।
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	ग्राम -बंजारी प0ह0नं0 06 रा.नि.मं.- धूमा की निजी भूमि ख.न. 158/1 अर्जित रकबा 0.43है.
10	भूमि का मूल्य	कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2023-24 में निर्धारित भूमि के मूल्य के अनुसार
11	प्रभावित परिवारों की संख्या(अधिनियम की धारा 3 के खंड(ग) के अनुसार	रक

12	परिसंपत्तियां	निरंक
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई	निरंक
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातों का विवरण (ख) समाघातों की संकेतक सूची	सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन। 1. सामाजिक प्रभाव आंकलन - परिवार विस्थापन एवं पुनर्बसाहट, शिक्षा, समुदाय की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाएँ 2. निर्मित संरचना - इमारत का प्रकार, स्थिति, उपस्थिति 3. आर्थिक मूल्यांकन - रोजगार और आय के स्रोत 4. सामाजिक पर्यावरण - म.प्र. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक MPPCB/JBP/116413 दिनांक 16/09/2022 के अनुसार सामाजिक पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त है।
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया हो (क) यदि हाँ तो वर्तमान प्रस्तावों की अधिमन्यता क्यों दी गयी। (ख) यदि नहीं तो क्यों नहीं	परियोजना से विभिन्न कंपनियों को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे और शहर में सी.एन.जी. पंप खुलगे, परियोजना जनहितकारी है।
16	प्रस्ताव का निष्कर्ष	गेल इंडिया लिमि. भारत सरकार का एक महारत्न उपक्रम है, इसके द्वारा नागपुर से जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाइन परियोजना के अंतर्गत सेक्शन लाईजिंग बाल्य (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण किया जाना है। यह योजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत है। अतः सामाजिक समाघात अध्ययन दल लोक प्रयोजन कार्य को देखते हुए योजना के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन की अनुसंसा करता है।



प्र. क्र. 0004/अ-82/2023-24 ग्राम-बंजारी, प.ह.नं. 06, रा.नि.मं.-धुमा, तहसील-लखनादौन व जिला सिवनी

प्रारूप - ग

(नियम 5)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं
2	लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियाँ	प्रभावित नहीं
3	आस्तियाँ और अधोसंरचना विशेषकर सड़के लोक परिवहन	प्रभावित नहीं
4	जल - मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं
6	पशुओं के लिये पेयजल स्रोत	प्रभावित नहीं
7	सामुदायिक तलाब	प्रभावित नहीं
8	जन सुविधाएँ(पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएँ स्कूल आंगनबाड़ी बालउद्यान और श्मशान कब्रिस्तान)	उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नहीं हो रही है।
9	वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	बिन्दु क्रमांक 1 से लगाकर बिन्दु क्रमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है।
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका ज़िम्मा लेगा।	यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा।

क्र.-4941-जि.भू.अ.-2023

## धारा-6

## (नियम 5)

प्रकरण क्रमांक 03 / अ-82 / 2023-24 प्रबंधक (निर्माण) गेल इंडिया लिमिटेड कैम्प कार्यालय होटल रायल आर्बिट तिलवारा ब्रिज के पास नागपुर रोड, जबलपुर जिला जबलपुर द्वारा नागपुर - छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइप लाईन परियोजना के निर्माण में गैस पाइप लाईन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम भिलमा पटवारी हल्का नं. 83 रा.नि.मं. लखनादौन तहसील लखनादौन जिला सिवनी की निजी भूमि ख.नं. 187/8 अर्जित रकबा 0.31हैं. का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ख' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है, जो इस भूचन के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्रारूप "ख" एवं "ग"

प्र. क्र. 03/अ-82/2023-24 ग्राम-भिलमा, प.ह.नं. 83, रा.नि.मं.-लखनादौन, तहसील-लखनादौन व जिला सिवनी

## प्रारूप - ख

## (नियम 5)

## सामाजिक समाघात रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर-छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइप लाईन परियोजना का निर्माण कार्य।
2	लोक प्रयोजन	परियोजना से कंपनी को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे पर सी.एन.जी. पंप खुलने की संभवना, पाइप लाईन से गैस सीधे रसोई घर तक पहुंचगी।
3	स्थान	ग्राम -- भिलमा प.ह.नं. 83 रा.नि.मं. - लखनादौन तहसील लखनादौन व जिला सिवनी
4	परियोजना का क्षेत्र	निजी भूमि ख.नं. 187/8 अर्जित रकबा 0.31हैं.
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया है।	गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर -छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइप लाईन की परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	गेल इंडिया लिमि. भारत सरकार का एक महारत्न उपक्रम है, जो प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है।
7	परियोजना निर्माण के चरण	प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है।
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है।
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	ग्राम - भिलमा प.ह.नं. 83 रा.नि.मं. - लखनादौन की निजी भूमि ख.नं. 187/8 अर्जित रकबा 0.31हैं.
10	भूमि का मूल्य	कलेक्टर पंजीयन गाईड लाईन वर्ष 2023-24 में निर्धारित भूमि के मूल्य के अनुसार

11	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या(अधिनियम की धारा 3 के खंड(ग) के अनुसार)	रुक
12	परिवारपरिचय	निरंक
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई	निरंक
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातों का विवरण (ख)समाघातों की संकेतक सूची	सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन। 1. सामाजिक प्रभाव आकलन - परिवार विस्थापन एवं पुनर्बसाहट, शिक्षा, समुदाय की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाएं 2. निर्मित संरचना - इमारत का प्रकार, स्थिति, उपस्थिति 3. आर्थिक मूल्यांकन - रोजगार और आय के स्रोत 4. सामाजिक पर्यावरण - म.प्र. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक MPPCB/JBP/116413 दिनांक 16/09/2022 के अनुसार सामाजिक पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त है।
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया हो (क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्तावों की अधिमान्यता क्यों दी गयी। (ख) यदि नहीं तो क्यों नहीं	परियोजना से विभिन्न कंपनियों को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे और शहर में सी.एन.जी. पंप खुलगे, परियोजना जनहितकारी है। -
16	प्रस्ताव का निष्कर्ष	गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक महारत्न उपक्रम है, इसके द्वारा नागपुर से जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाइन परियोजना के अंतर्गत सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण किया जाना है। यह योजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत है। अतः सामाजिक समाघात अध्ययन दल लोक प्रयोजन कार्य को देखते हुए योजना के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन की अनुसंसा करता है।

प्र. क्र. 03/अ-82/2023-24 ग्राम-भिलमा, प.ह.नं. 83, रा.नि.मं.-लखनादौन, तहसील-लखनादौन व जिला सिवनी

प्रारूप - ग

(नियम 5)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं
2	लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़के लोक परिवहन	प्रभावित नहीं
4	जल - मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं
6	पशुओं के लिये पेयजल स्रोत	प्रभावित नहीं
7	सामुदायिक तलाब	प्रभावित नहीं
8	जन सुविधाएं(पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं स्कूल आंगनबाड़ी बालउद्यान और शमशान कब्रिस्तान)	उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नहीं हो रही है।
9	वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	बिन्दु क्रमांक 1 से लगाकर बिन्दु क्रमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है।
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।	यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा।

क्र.-4942-जि.भू.अ.-2023

## धारा-6

## (नियम 5)

प्रकरण क्रमांक 0006/अ-82/2023-24 प्रबंधक (निर्माण) गेल इंडिया लिमिटेड कैम्प कार्यालय होटल रायल आर्बिट तिलवारा ब्रिज के पास नागपुर रोड, जबलपुर जिला जबलपुर द्वारा नागपुर -छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइप लाईन परियोजना के निर्माण में गैस पाइप लाइन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम घोघरी पटवारी हल्का नं. 12/14 रा.नि.मं. चमारी खुर्द तहसील छपारा जिला सिवनी की निजी भूमि ख.न. 17 अर्जित रकबा 0.31हैं. का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ख' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है, जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्रारूप "ख" एवं "ग"

प्र. क्र. 0006/अ-82/2023-24 ग्राम-घोघरी, प.ह.नं. 12/14, रा.नि.मं.-चमारीखुर्द, तहसील-छपारा व जिला सिवनी

## प्रारूप - ख

## (नियम 5)

## सामाजिक समाघात रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर-छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइप लाईन परियोजना का निर्माण कार्य।
2	लोक प्रयोजन	परियोजना से कंपनी को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे पर सी.एन.जी. पंप खुलने की संभवना, पाइप लाईन से गैस सीधे रसोई घर तक पहुंचगी।
3	स्थान	ग्राम - घोघरी प0ह0न0 12/14 रा.नि.मं. - चमारी खुर्द तहसील छपारा व जिला सिवनी
4	परियोजना का क्षेत्र	निजी भूमि ख.न. 17 अर्जित रकबा 0.31हैं.
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया है।	गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर --छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइप लाईन की परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	गेल इंडिया लिमि. भारत सरकार का एक महारत्न उपक्रम है, जो प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है।
7	परियोजना निर्माण के चरण	प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है।
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है।
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	ग्राम - घोघरी प0ह0न0 12/14 रा.नि.मं. - चमारी खुर्द की निजी भूमि ख.न. 17 अर्जित रकबा 0.31हैं.
10	भूमि का मूल्य	कलेक्टर मंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2023-24 में निर्धारित भूमि के मूल्य के अनुसार

11	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या (अधिनियम की धारा 2 खंड(ग) के अनुसार)	रूक
12	परिसंपत्तियाँ	निरक
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई	निरक
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातों का विवरण (ख) समाघातों की संकेतक सूची	सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन। 1. सामाजिक प्रभाव आंकलन - परिवार विस्थापन एवं पुनर्बसाहट, शिक्षा, समुदाय की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाये 2. निर्मित संरचना - इमारत का प्रकार, स्थिति, उपस्थिति 3. आर्थिक मूल्यांकन - रोजगार और आय के स्रोत 4. सामाजिक पर्यावरण - म.प्र. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक MPPCB/JBP/116413 दिनांक 16/09/2022 के अनुसार सामाजिक पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त है।
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया हो (क) यदि हाँ तो वर्तमान प्रस्तावों की अधिमान्यता क्यों दी गयी। (ख) यदि नहीं तो क्यों नहीं	परियोजना से विभिन्न कंपनियों को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे और शहर में सी.एन.जी. पंप खुलगे, परियोजना जनहितकारी है। -
16	प्रस्ताव का निष्कर्ष	गेल इंडिया लिमि. भारत सरकार का एक महारत्न उपक्रम है, इसके द्वारा नागपुर से जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाइन परियोजना के अंतर्गत सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण किया जाना है। यह योजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत है। अतः सामाजिक समाघात अध्ययन दल लोक प्रयोजन कार्य को देखते हुए योजना के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन की अनुसंसा करता है।

प्र. क्र. 0006/अ-82/2023-24 ग्राम-घोघरी, प.ह.नं. 12/14, रा.नि.मं.-चमारी खुर्द, तहसील-छपारा व जिला सिवनी

प्रारूप - ग

(नियम 5)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं
2	लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़के लोक परिवहन	प्रभावित नहीं
4	जल - मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं
6	पशुओं के लिये पेयजल स्रोत	प्रभावित नहीं
7	सामुदायिक तलाब	प्रभावित नहीं
8	जन सुविधाएँ(पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएँ, स्कूल आंगनबाड़ी बालसद्यान और श्मशान कब्रिस्तान)	उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नहीं हो रही है।
9	वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	दिन्दु क्रमांक 1 से लगाकर बिन्दु क्रमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है।
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।	यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितवह पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र.-4-अ-82-2022-2023

सीहोर, दिनांक 20 जून 2023

(अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2023 (क्र. 30 सन् 2023) चूंकि राज्य भासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3) में वर्णित भूमि एवं खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत रहता है।

अनुसूची (1)								
ग्राम-मंडी, तहसील- भैरुदा								
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेअर)						
		सिंचित	असिंचित	कुल				
1	सीप अम्बर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना अंतर्गत ग्राम मंडी में निजी भूमि पर पंप हाउस, कंट्रोल रूम, एवं रोड निर्माण कार्य हेतु	2.200	0.000	2.200				
	ग्राम मंडी में अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का योग	2.200	0.000	2.200				
अनुसूची (2)								
सीप अम्बर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना अंतर्गत ग्राम मंडी में निजी भूमि पर पंप हाउस, कंट्रोल रूम, एवं रोड निर्माण कार्य हेतु								
स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	राधाकिशन पुत्र कन्हैयालाल जाति केवट	147	1.497	0.000	1.497	0.800	0.000	0.800
2	ब्रजमोहन पिता कुंवरसिंह जाति अहिर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	144/1	1.507	0.000	1.507	0.400	0.000	0.400
		145/1	1.111	0.000	1.111	0.700	0.000	0.700
		146	0.817	0.000	0.817	0.300	0.000	0.300
		4	4.932	0.000	4.932	2.200	0.000	2.200

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट का, कलेक्टर (भू0 अर्जन), सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगन सृजित नहीं करेगा।

(3) प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत बिहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील भैरुदा जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।



क्रमांक 017/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3) में वर्णित भूमि एवं खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

—: अनुसूची - 1 :-

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर/वर्ग मीटर	धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सीहोर	श्यामपुर/आछारोही	भूमि - 4.237 हैं.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़	पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन

—: अनुसूची - 2 :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (निजी) हे.में	अर्जित रकबा (निजी) हे.में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	रामस्वरुप पुत्र भारतसिंह जाति कुडमी पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	3/3/1	0.050	0.050	
2	शंकरकुंवर पत्नी भोपालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	3/4/1	1.159	0.702	
3	रामसिंह, रामगोपाल पिता गोरेलाल जाति कुडमी हिस्सा 1/4, सुन्दरबाई बेवा हरिप्रसाद, भारतसिंह पिता हरिप्रसाद जाति कुडमी हिस्सा 1/4, गोविन्दराम, छोटेराम, प्रेमचन्द पिता जयराम, गोरिया बाई पुत्री जयराम जाति कुडमी हिस्सा 1/4, पन्नालाल पिता दलसिंह जाति कुडमी हिस्सा 1/4 पता आछारोही श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	3/5/1	0.208	0.208	
4	छोटेराम पुत्र जयराम जाति कुडमी पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	3/6/1	0.067	0.067	

5	शैलेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	236/36/1/1	1.285	0.290	
6	सुरेन्द्रसिंह पुत्र अभयसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	13/6	1.404	0.904	
7	शिवपालसिंह पुत्र अभयसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	13/7	0.607	0.557	
8	गोविन्द पुत्र सजनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	28/2/6	0.473	0.040	
9	प्रेमनारायण पुत्र रामप्रसाद जाति कुड़मी पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	237/43/1	0.802	0.050	
10	गोविंदराम पिता जयराम जाति कुड़मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/1	0.583	0.583	
11	ओमप्रकाश पिता राम सिंह जाति कुड़मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/2/1	0.393	0.393	
12	रमेश पिता राम सिंह जाति कुड़मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/2/2/1	0.110	0.110	
13	अजब सिंह राम सिंह जाति कुड़मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/2/2/2	0.283	0.283	
<b>कुल योग :-</b>		<b>13</b>	<b>7.424</b>	<b>4.237</b>	

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

**(प्रारूप धारा -19) भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013**

प्रकरण क्रमांक 013/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

भूमि का वर्णन

(क) जिला - सीहोर

(ख) तहसील - श्यामपुर

(ग) ग्राम - हिंगोनी

(घ) क्षेत्रफल - 6.096 है.

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा	स्थित परिसंपत्ति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	गीताप्रसाद पिता रामचरण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	40/5	0.235	0.050	टयूबवेल	
2	प्रेमनारायण पिता रामलाल जाति सुतार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	60/2/1	0.861	0.200		
3	भंवरीबाई बेवा ब्रहमाजी कमतलसिंह रामकिशन विष्णुप्रसाद मोहनसिंह आ ब्रहमाजी जाति गाडरी पता निवासी ग्राम पीलूखेडी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	98/2	2.63	0.210		
4	प्रीयासिंह तोमर पत्नी रविसिंह तोमर जाति तोमर पता भोपाल मध्यप्रदेश	57/5/1	0.541	0.130		
		57/13	1.234	0.370		
5	अंसद इफतेखार पिता इफतेखार एहमद डायरेक्टर भोपाल गुलुज एण्ड केमि प्रा लि जाति मुस्लिम पता निवासी 189 जिर्सी भोपाल मध्यप्रदेश	98/7	1.214	0.440		
6	डायरेक्टर असद उफतेखार पिता उफतेखार अहमद मेसर्स भोपाल गुलुज एण्ड केमिकज प्रा लि जाति मुसलमान पता निवासी जहांगीरगड भोपाल सीहोर मध्यप्रदेश	13/2	1.064	0.200		
		100/4	1.056	1.056		
		100/15/1	0.623	0.370		
7	देवीराम पिता खेमा जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	100/5/1	0.674	0.240	कुआ	

8	छोटेसिंह तोमर पिता मुकुट सिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	57/10	1.016	0.120	ट्यूबवेल	
9	श्रीमती प्रियंका तोमर पत्नी रामसिंह तोमर जाति तोमर पता निवासी भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	57/9	0.809	0.130		
10	युसुफ असद पिता असद इस्तेखार जाति मुस्लिम पता निवासी भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	28/3 31/3	1.223	0.270		
11	रंगलाल पिता रामचरण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	40/3	0.234	0.050	ट्यूबवेल	
12	रवीसिंह तोमर पिता छोटेसिंह तोमर जाति तोमर पता भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	57/2/1	1.237	0.080		
13	भगवानसिंह पिता अमरसिंह जाति गाडरी पता निवासी ग्राम पीलूखेडी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	98/5	2.023	0.280	कुआ	
14	श्यामलाल पिता शोभाराम जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	100/3	1.011	0.600		
15	मोतीलाल पिता मन्लूलाल जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	60/5/1	0.521	0.060		
16	देवीराम पिता खेमा जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	100/9/1	1.137	0.080	कुआ	
17	रामगोपाल उर्फ गप्पा पिता खेमचन्द्र जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	100/7	1.214	0.090	कुआ	
18	श्यामलाल, भागीरथ, हेमराज, फूलसिंह पिता शोभाराम जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	100/6	1.214	0.560		
19	परवतसिंह पिता दुर्गाप्रसाद हि. 1/2, भगवतसिंह पिता दुर्गाप्रसाद हि. 1/2 जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	100/8	1.214	0.140	कुआ	
20	परसराम पिता मूलचंद जाति चमार नि ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	60/14	1.833	0.300		
21	प्रेमलता पुत्री नारायणसिंह जाति ठाकुर पता नि ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	100/10/2	0.571	0.070		
	<b>कुल योग :-</b>	<b>24</b>	<b>25.389</b>	<b>6.096</b>		

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.